हिन्दी रत्न सस्करण

आजकल

(वर्तमान महायुद्ध तक)

नवीनतम सस्करण

लेखक—

चन्द्रगुप्त विद्यालंकार

साहित्य भवन
११, टैम्पल रोड, लाहोर

तृतीय सस्करण } मई १९४० { मूल्य ।।।) अजिल्द
२००० ।।।=) सजिल्द

प्रकाशक—

साहित्य भवन

११, टैम्पल रोड, लाहौर

मुद्रक—

ला० देसराज

चोपड़ा प्रिंटिंग प्रेस

मोहनलाल रोड, लाहौर

भूमिका

पहले दुनिया यदि धीरे-धीरे खिसका करती थी, तो अब वह भागने लगी है। उसमें प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है। कहा जाता है कि पहले जमाने के लोग आजकल के लोगों की अपेक्षा शारीरिक दृष्टि से अधिक स्वस्थ और सुगठित होते थे और उनकी आयु भी बड़ी होती थी। मुमकिन है कि यह बात ठीक हो। परन्तु पुराने जमाने का एक मनुष्य अपने सौ बरस के जीवन मे जितना सुख-दुख अनुभव करता था और उसे जितना ज्ञान प्राप्त होता था, आज का मनुष्य अपनी आयु के पचास वर्षों में ही उसकी अपेक्षा कई गुना ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आज के ५० वर्षों के जीवन में पहले के ५०० वर्षों का जीवन व्यतीत किया जा रहा है।

दुनिया सचमुच दौड़ रही है। कल के आविष्कार आज पुराने पड गए हैं और कौन कह सकता है कि जिन बातों को आज हम 'चमत्कार' गिन रहे हैं, उन्हें कल एक बहुत ही मामूली बात नहीं समझा जाने लगेगा। सोचने वालों के लिए यह भी एक समस्या है कि इस वैज्ञानिक दौड़ का अन्त कहा जा कर होगा।

पुराने ज़माने मे लोग भौतिक उन्नति की अपेक्षा आत्मिक उन्नति को अधिक महत्ता देते थे। वे लोग बाहर के जगत का विश्लेषण करने की अपेक्षा अपने अन्दर के जगत का पर्यवेक्षण करना अधिक पसन्द करते थे। उप-

निपदों के जिज्ञासु नचिकेता को, जब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मृत्यु देवता ने यह वर दिया कि वह चाहे जो चीज़ माग सकता है, हाथी, घोड़े, महल, धन, सभी कुछ उसे मिल सकता है, तब नचिकेता ने इस महान प्रलोभन का जो उत्तर दिया था, उसे प्राचीन भारत के प्राय सभी विचारको की मनोवृत्ति का परिचायक समझा जा सकता है। नचिकेता ने मृत्युदेवता से कहा था—

"किं तेनाहं कुर्यां येन नाहममृत स्याम् ?"

—मैं उस चीज को लेकर क्या करू, जिसे लेकर भी मै अमर नहीं हो जाता ?—

प्राचीन ऋषियो को ज्ञात था कि मनुष्य के लिए मृत्यु को जीत सकना सम्भव नहीं है, परन्तु मृत्यु को न जीत सकते हुए भी मृत्यु के डर को ज़रूर जीता जा सकता है और मृत्यु के डर को जीत लेना मौत को जीत लेने के बराबर है।

वर्तमान युग का ज्ञानी पुरुष भौतिक विज्ञान की सहायता से मौत के डर को जीतने का प्रयत्न कर रहा है। और यह हमें स्वीकार करना चाहिए कि आज तक विज्ञान के जो तत्व मनुष्य को ज्ञात हो गए हैं, उनके कारण उसके ज्ञान का आधार पहले मनुष्यो के ज्ञान के आधार की अपेक्षा अधिक दृढ हो गया है।

ससार मे आज जो लहरें चल रही हैं, राजनीति, विज्ञान, समाज शास्त्र आदि के सम्बन्ध में जो नए-नए परी-

विषय-सूची

—o—

श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार की रचनाएँ—

कहानी संग्रह—

१	अमावस	२॥)
२	भय का राज्य	१)
३	चन्द्रकला	१।)

नाटक—

१	रेवा	१।)
२	अशोक	१)
३	काफ़िर	१)

सामान्य ज्ञान—

१	आजकल	॥=)
२	मानव जाति का संघर्ष और प्रगति	३)

अनुवाद—

१	संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियां	२)
२	पाप (चैखव)	१)
३	चरागाह (तुर्गनेव)	१)
४	विवाह की कहानियाँ (हार्डी)	१)

(१)

आज की दुनिया

पुराने जमाने का कोई मनुष्य यदि आज किसी तरह अचानक उसी रूप में जिन्दा हो उठे, तो वह इस वर्तमान दुनिया को देख कर इतना हैरान हो जायगा कि शायद वह हैरानी उसे जीवित ही न रहने दे। वह चकित होकर देखेगा कि बडे-बडे शहरों मे आसमान को छूने वाले मकान हैं और उनके बीचोंबीच खूब चौडी, पक्की-पक्की सडकें हैं। इन सडकों पर सैकडों-हजारों मनुष्य बडी तेजी से इधर-उधर आ-जा रहे हैं। सब से अधिक आश्चर्य उसे यह देख कर होगा कि विशाल नगरों में बिजली से चलने वाली बडी-बडी रेलगाडियाँ, ट्यूब्स, ट्रामकार, बस, मोटरकार आदि न जाने कौन-कौन-सी सवारियाँ सैकडों की संख्या मे इधर से उधर भागी चली जा रही हैं और वे सब की सब उसी के समान मनुष्यों से खचाखच भरी हुई हैं। आज की दुनिया से पूरी तरह अपरिचित वह मनुष्य हैरानी से सोचेगा

कि आखिर ये सब, ये सैकडों-हजारों मेरे ही समान दिखाई दें
वाले मनुष्य इतनी तेज़ी के साथ इधर-उधर कहाँ भागे जा रहे
और क्यों भागे जा रहे हैं ! इन्हें कौन-सा इतना आवश्यक का
है ? और ये सब, राक्षसों के समान इधर-उधर दौडती हुई बडी
बडी चीज़ें आ कहाँ से गई ?

कभी आपने भी सोचा कि आपके सामने की मानवी दुनिया की इस दौडधूप, भगदड, जल्दबाजी और चहल-पहल क अभिप्राय क्या है और उद्देश्य क्या है ? यदि आप देहात में रह हैं, तो भी आपने कभी रेलगाडी का सफ़र जरूर किया होगा औ शायद किसी बडे शहर को देखा भी होगा और यदि आप शह में रहते हैं तो आप रोज़ ही देखते होंगे कि आपके मकानो पास की सडको पर प्रति दिन सैंकडो नए-नए चेहरे दिखाई देते है प्रतिदिन हजारों आदमी एक ओर से दूसरी ओर को निकल जा हैं। कभी आपने भी सोचा कि इस सम्पूर्ण चहलपहल और घ आवागमन का उद्देश्य क्या है ?

जीवन की पेचीदगी—आज के मनुष्य का जीवन बहु पचीदा हो गया है। हम मे से अधिकाश लोग नहीं जानते कि जो चीज़ें व्यवहार में ला रहे हैं, वे किस तरह बनती हैं। वे जि सवारियों पर सवार होते हैं, उन के सम्बन्ध मे भी उन्हे ज्ञात नह कि उनका परिचालन विज्ञान और यन्त्रविद्या के किन सिद्धान्त पर हो रहा है।

पुराना जीवन—पहले जमाने मे ससार के दैनि व्यवहार और लेन-देन स्पष्ट थे। बढई, तरखान, राज, धुनिय जुलाहा आदि व्यवसायजीवी छोटे-छोटे औजारों और यन्त्रों क

हाथ से चला कर उस ज़माने के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया करते थे। जिस बैलगाडी, बहेली, रथ या बग्घी पर वे लोग सवार होते थे, वह उनकी आँखों के सामने बनी होती थी। जो कपड़े वे पहनते थे, उनका सूत प्राय उनकी माँ-बहनों का काता हुआ होता था और बुनावट गाँव के जुलाहे द्वारा की गई होती थी। जो स्वादिष्ट पदार्थ वे खाते थे, वे सब उनके घर में अथवा बाज़ार के हलवाइयों द्वारा तैयार किए हुए होते थे। उस समय का लेनदेन भी गुथीला नहीं था। एक जगह का बढ़िया माल धीरे-धीरे, बैलों, घोड़ों, ऊँटों और मनुष्यों की सवारी करता हुआ काफ़ी दूर तक जा पहुचता था। पालवाले जहाज उसे नदी और समुद्र के पार भी पहुचा देते थे। तब मनुष्य के जीवन में पेचीदगी बहुत कम थी। अमीर ग़रीब दोनों तरह के लोग थे, मगर व्यवहार में उनके जीवन में कोई बहुत असाधारण भेद नहीं था।

नई परिस्थितिया--परन्तु आज वह बात नहीं रही। यद्यपि, आवागमन के साधन अब बहुत श्रेष्ठ बन गए हैं और एक सप्ताह ही मे हिन्दोस्तान से अमेरिका पहुँचा जा सकता है, यद्यपि रेडियो के द्वारा आज ससार-भर के समाचार उसी समय जान लिये जाते हैं, तथापि मनुष्य का जीवन आज इतना पेचीदा हो गया है कि आवागमन और बातचीत की इतनी सुविधा रहते हुए भी एक मनुष्य राजनीति, विज्ञान, व्यवसाय और लेन-देन की बहुत कम बातें जान या समझ सकता है।

मनुष्य मशीन बन गया है--नतीजा यह हुआ है कि मनुष्य स्वय भी किसी मशीन का एक पुर्जा-सा बन गया है। एक

उपज पहले की अपेक्षा बहुत बढ गई है। दूसरा यह कि ससा की पढी-लिखी जमातो मे, विशेषत पश्चिम के देशो मे, सन्ताने त्पत्ति की सख्या पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है। सन्ता कम होने से आबादी के बहुत अधिक बढ जाने का भय नहीं रहा यह माना जाता है कि इस पृथ्वी पर ६ अरब मनुष्य आसानी रह सकते हैं।

इन दो अरब मनुष्यो मे निम्नलिखित जातियों के लोग है मङ्गोल, आर्य, हबशी और बन्तू, सैमेटिक, मलया, इण्डियन आदि।

ससार के पाँचो महाद्वीपो की जन गणना इस प्रकार है

यूरोप	५६ करोड
एशिया	१०३ ,,
अफ्रीका	१५ ,,
उत्तर अमेरिका तथा कैनाडा	१७ ,,
दक्षिण अमेरिका	८ ,,
ओशेनिया	१ ,,
	२०० करोड

ये सख्याएँ सन् १९३५ तक की हैं, अनुमान है कि आ सन् १९४० तक, ससार की आबादी इस की अपेक्षा १० करोड लगभग बढ गई होगी।

जीवन-सघर्ष—मनुष्य ने इस पृथ्वी के अन्य देहधारि को तो बहुत समय से अपने अधीन कर रक्खा है, परन्तु आप में, मनुष्यों ही की विभिन्न श्रेणियो तथा जातियों में, वह किस

तरह की पूर्णरूप से शान्तिमयी व्यवस्था नहीं कर पाया। मानव-जाति के इतिहास के प्रारम्भ से लेकर अब तक मनुष्यों की विभिन्न जमातें एक दूसरे से भयङ्कर रूप में लडती चली आ रही हैं। इस पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने जीवन के सघर्ष को और भी अधिक पेचीदा और कठोर बना दिया है। परिणाम यह हुआ है कि मनुष्य की आकाक्षाओं और प्रयत्नों की कोई सीमा ही नहीं रही।

बिजली आदि पर विजय—जीवन-सघर्ष से अपने प्रयत्नो के कष्ट को हलका करने के लिये मनुष्य ने अपने दिमाग को टटोला और उस का नतीजा निकला वैज्ञानिक आविष्कार। पहले-पहल मनुष्य ने यन्त्र बनाए, फिर पानी, वायु आदि भौतिक पदार्थों की शक्ति से लाभ उठाना सीखा और उस के बाद क्रमश भाप, बिजली और इलैक्ट्रोन्स की शक्तियों को वश में करने का आविष्कार किया। इन आविष्कारों की बदौलत मनुष्य की कार्य-शक्ति बहुत अधिक बढ गई है। आज १० हज़ार घोडों की शक्ति से काम करने वाली बडी-बडी मशीनों पर नियन्त्रण रखने के लिये थोडे से ही मनुष्यों की आवश्यकता होती है।

जीवन का सघर्ष बढ गया है—परन्तु प्रकृति की इन महाशक्तियों पर विजय पा कर भी मनुष्य अपने जीवन-सघर्ष की उग्रता को ज़रा भी कम नहीं कर सका। बल्कि वह उग्रता तो अब और भी अधिक बढ गई है और जीवन-सघर्ष की इसी उग्रता का परिणाम है, मनुष्यों की यह निरन्तर दौड-धूप और यह घबराहट-भरी शीघ्रता।

स्वामित्व के आधार—जीवन-सघर्ष की इस बात को ज़रा और अधिक खोल कर कहने की आवश्यकता है। बात यह

किसी जमाने में साम्राज्यवाद का आधार असाधारण शक्तिशाली विजेताओं की असीम महत्वाकांक्षा ही था । परन्तु बाद में व्यक्तियों की जगह राष्ट्रों में साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा उत्पन्न होगई ।

प्रजातन्त्रवाद ने वर्तमान समय के साम्राज्यों पर एक अन्य ही प्रकार का प्रभाव डाला है । आजकल ससार का सब से बडा साम्राज्य अंग्रेज़ी साम्राज्य है और इग्लैण्ड को प्रजातन्त्र की जननी भी कहा जाता है । परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ी साम्राज्य के सभी भागों में प्रजातन्त्र की भावना पनप गई और क्रमश अंग्रेजी साम्राज्य एक विशाल परिवार का रूप धारण कर गया । अंग्रेजी साम्राज्य के उपनिवेश आज इग्लैण्ड के अधीन नहीं, वे स्वेच्छापूर्वक उसका नेतृत्व स्वीकार किए हुए हैं । भारतवर्ष में भी प्रजातन्त्र तथा स्वराज्य की भावना दिनो दिन बढती जा रही है ।

अंग्रेज़ी साम्राज्य की देखादेखी ससार भर के सभी साम्राज्यों में आज क्रमश प्रजातन्त्र और कुटुम्ब की भावना उत्पन्न होती जा रही है । जहा यह भावना उत्पन्न नहीं हुई, वहा साम्राज्य टिकने ही नहीं पाते ।

२ फासिज्म, नाज़िज्म अ[illegible] [illegible]टेटरशिप—फौजी राष्ट्रीयता का सब से अधिक [illegible] रूप में प्रकट हुआ है । फा[illegible] [illegible] नाज़िज्म का [illegible] [illegible]में । ही मोनवृत्ति [illegible] को प्रबल [illegible] असीमित [illegible]

स्वभावत एक दल के असीमित प्रभुत्व का अन्त एक व्यक्ति के असीमित प्रभुत्व में होता है। इसी से इन देशो में डिक्टेटर-शिप (तानाशाही) कायम है। इटली मे मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर तानाशाह हैं। वे अपने-अपने देश मे चाहे जो कुछ कर सकते हैं।

बहुत शीघ्र इन देशो में साम्राज्य लिप्सा बहुत प्रबल हो गई। ये देश अपना राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ाने के लिए युद्ध की तैयारियों में लग गए। राष्ट्र की आय का अधिकाश भाग सैनिक कार्यों पर खर्च किया जाने लगा और देश भर के नवयुवको के लिए सैनिक शिक्षा लेना अनिवार्य कर दिया गया।

फ़ासिस्ट इटली और नाजी जर्मनी की कार्रवाइयों से ससार का वातावरण बहुत विक्षुब्ध हो गया। विशेषरूप से नाज़ी जर्मनी अपने शस्त्रबल की सहायता से अपना साम्राज्य बढ़ाने पर तुल गया। जर्मनी की देखादेखी ससार के अन्य राष्ट्र भी महायुद्ध की तैयारियों में लग गए। सन् १६३६ के सितम्बर में जिस प्रकार वर्तमान महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, [illegible] चल कर किया जायगा।

३ अन्तर्जातीयता [illegible] की [illegible]

लहर अन्तर्जातीयता की है [illegible]
बड़े विचारकों [illegible]
स्थापना [illegible]

किसी जमाने मे साम्राज्यवाद का आधार असाधारण शक्तिशाली विजेताओ की असीम महत्वाकाक्षा ही था । परन्तु बाद मे व्यक्तियो की जगह राष्ट्रों में साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा उत्पन्न होगई ।

प्रजातन्त्रवाद ने वर्तमान समय के साम्राज्यों पर एक अन्य ही प्रकार का प्रभाव डाला है । आजकल ससार का सब से बडा साम्राज्य अग्रेज़ी साम्राज्य है और इगलैण्ड को प्रजातन्त्र की जननी भी कहा जाता है । परिणाम यह हुआ कि अग्रेज़ी साम्राज्य के सभी भागो में प्रजातन्त्र की भावना पनप गई और क्रमश अग्रेजी साम्राज्य एक विशाल परिवार का रूप धारण कर गया । अंग्रेज़ी साम्राज्य के उपनिवेश आज इगलैण्ड के अधीन नहीं, वे स्वेच्छापूर्वक उसका नेतृत्व स्वीकार किए हुए हैं । भारत-वर्ष में भी प्रजातन्त्र तथा स्वराज्य की भावना दिनो दिन बढती जा रही है ।

अग्रेज़ी साम्राज्य की देखादेखी ससार भर के सभी साम्राज्यों में आज क्रमश प्रजातन्त्र और कुटुम्ब की भावना उत्पन्न होती जा रही है । जहा यह भावना उत्पन्न नही हुई, वहा साम्राज्य टिकने ही नहीं पाते ।

२ फ़ासिज्म, नाज़िज्म और डिक्टेटरशिप—फौज़ी राष्ट्रीयता का सब से अधिक विकट रूप फासिज्म और नाज़िज्म के रूप में प्रकट हुआ है । फासिज्म का जन्म इटली में हुआ और नाज़िज्म का जन्म जर्मनी मे । ये दोनो आन्दोलन वास्तव मे एक ही मोनवृत्ति के दो रूप हैं । विचार स्वातन्त्र्य को दबा कर देश को प्रबल शक्तिशाली बनाने की इच्छा से देश मे एक ही दल का असीमित प्रभुत्व स्थापित करना इन आन्दोलनों का उद्देश्य है ।

स्वभावत एक दल के असीमित प्रभुत्व का अन्त एक व्यक्ति के असीमित प्रभुत्व में होता है। इसी से इन देशों में डिक्टेटर-शिप (तानाशाही) कायम है। इटली मे मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर तानाशाह हैं। वे अपने-अपने देश मे चाहे जो कुछ कर सकते हैं।

बहुत शीघ्र इन देशो में साम्राज्य लिप्सा बहुत प्रबल हो गई। ये देश अपना राजनीतिक प्रभुत्व बढाने के लिए युद्ध की तैयारियों में लग गए। राष्ट्र की आय का अधिकाश भाग सैनिक कार्यों पर खर्च किया जाने लगा और देश भर के नवयुवकों के लिए सैनिक शिक्षा लेना अनिवार्य कर दिया गया।

फासिस्ट इटली और नाज़ी जर्मनी की कार्रवाइयो से ससार का वातावरण बहुत विक्षुब्ध हो गया। विशेषरूप से नाज़ी जर्मनी अपने शस्त्रबल की सहायता से अपना साम्राज्य बढाने पर तुल गया। जर्मनी की देखादेखी ससार के अन्य राष्ट्र भी महायुद्ध की तैयारियो में लग गए। सन् १६३६ के सितम्बर में जिस प्रकार वर्तमान महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, उस का जिक्र आगे चल कर किया जायगा।

३ अन्तर्जातीयता और भ्रातृभाव—ससार की तीसरी लहर अन्तर्जातीयता की है। गत महायुद्ध के बाद ससार के बडे-बड़े विचारकों की सलाह हुई कि मनुष्य-जाति में शान्ति की स्थापना करने के लिए यह आवश्यक है कि सब जातियो का एक अन्तर्जातीय राष्ट्रसघ स्थापित किया जाय। पिछले यूरोपीयन महायुद्ध में जो भारी जनक्षति हुई थी, उसे देख कर ससार के प्रमुख देशों ने एक अन्तर्जातीय राष्ट्रसघ की स्थापना भी की थी।

किसी जमाने मे साम्राज्यवाद का आधार असाधारण शक्तिशाली विजेताओं की असीम महत्वाकाक्षा ही था । परन्तु बाद मे व्यक्तियों की जगह राष्ट्रो मे साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा उत्पन्न होगई ।

प्रजातन्त्रवाद ने वर्तमान समय के साम्राज्यों पर एक अन्य ही प्रकार का प्रभाव डाला है । आजकल ससार का सब से बडा साम्राज्य अंग्रेज़ी साम्राज्य है और इग्लैएड को प्रजातन्त्र की जननी भी कहा जाता है । परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ी साम्राज्य के सभी भागो में प्रजातन्त्र की भावना पनप गई और क्रमश अंग्रेजी साम्राज्य एक विशाल परिवार का रूप धारण कर गया । अंग्रेज़ी साम्राज्य के उपनिवेश आज इग्लैएड के अधीन नहीं, वे स्वेच्छापूर्वक उसका नेतृत्व स्वीकार किए हुए हैं । भारतवर्ष में भी प्रजातन्त्र तथा स्वराज्य की भावना दिनो दिन बढती जा रही है ।

अंग्रेज़ी साम्राज्य की देखादेखी ससार भर के सभी साम्राज्यो में आज क्रमश प्रजातन्त्र और कुटुम्ब की भावना उत्पन्न होती जा रही है । जहा यह भावना उत्पन्न नही हुई, वहा साम्राज्य टिकने ही नहीं पाते ।

२ फ़ासिज़्म, नाज़िज़्म और डिक्टेटरशिप—फौज़ी राष्ट्रीयता का सब से अधिक विकट रूप फासिज़्म और नाज़िज़्म के रूप में प्रकट हुआ है । फ़ासिज़्म का जन्म इटली में हुआ और नाज़िज़्म का जन्म जर्मनी में । ये दोनों आन्दोलन वास्तव मे एक ही मोनवृत्ति के दो रूप हैं । विचार स्वातन्त्र्य को दबा कर देश को प्रबल शक्तिशाली बनाने की इच्छा से देश मे एक ही दल का असीमित प्रभुत्व स्थापित करना इन आन्दोलनों का उद्देश्य है ।

सैनिक दृष्टि से ससार का एक अत्यन्त शक्तिशाली देश बनाना था। इटली की देखादेखी जर्मनी मे भी हिटलर ने नाज़ी दल की स्थापना की। सन् १९३२ तक यह दल अत्यन्त प्रबल होगया और सन् १९३३ के प्रारम्भ से हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर बना। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी वर्तमान महायुद्ध की तैयारियों में व्यस्त हो गया।

सन् १९३५ में इटली ने एबीसीनिया पर आक्रमण कर दिया। सम्पूर्ण ससार चुपचाप इस बलात्कार को सहता रहा। यह देख कर नाज़ी जर्मनी के हौसले बढ गए और मार्च १९३६ मे हिटलर ने राइनलैण्ड को अपने अधिकार में करने के लिए जर्मन सेना रवाना कर दी। राइनलैण्ड में जनमत लिये जाने के बाद वह प्रान्त चुपचाप जर्मनी के हवाले कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी को जैसे खून का चस्का लग गया। सन १९३८ मे जर्मनी ने आस्ट्रिया का अपहरण कर लिया। सितम्बर सन् १९३८ मे जर्मनी ने जैकोस्लोवाकिया के सूडेटनलैण्ड पर अपना अधिकार कर लिया। अगले ही महीने मे स्लोवाक नामक प्रान्त को छोड कर शेष सम्पूर्ण जैकोस्लोवाकिया पर जर्मनी ने अपना कब्जा जमा लिया। उन्हीं दिनों जर्मनी ने स्पेन के राष्ट्रीय दल के नेता फ्रैन्को की सहायता भी की।

इतना सब काम हिटलर ने जरा भी रक्तपात किए बिना [illegible] । मित्र [illegible] महायुद्ध से बचना चाहते थे। हिटलर [illegible] चाहे जो कुछ कराता चला [illegible] स्त सन् १९३९ में हिटलर ने [illegible] के कौरीडोर नामक भाग [illegible] अधिकार करना

विजय होती रही। स्वय इँग्लैंड में भी अनेक बार मज़दूर दल की सरकार की स्थापना हो चुकी है। गत महायुद्ध के विरुद्ध मानव-जाति में जो प्रतिक्रिया हुई थी, उससे साम्यवाद के सिद्धान्तो का प्रचार होने मे मदद मिली थी। परन्तु अब वह बात जाती रही है और ससार के अधिकाश देशो मे जातीयता के उग्रभाव तथा साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति ही अधिक बलवती बनी हुई है।

५ स्वाधीनता के लिए प्रयत्न--ससार के पराधीन देशो मे जागृति और स्वराज्य स्थापना की जो लहर चल रही है, वह वर्तमान ससार की पाचवीं प्रवृत्ति है। अनेक पराधीन देश प्रयत्न करके गत वर्षों मे स्वाधीन बन गए हैं और अन्य पराधीन देशो मे स्वाधीनता के लिए प्रयत्न जारी है।

इस तरह ये पाच विभिन्न तरह की लहरें आज के मानव संसार को गतिशील और कर्मण्य बना रही हैं।

वर्तमान महायुद्ध

पिछले महायुद्ध मे, जो सन् १६१४ से १६१८ तक लडा गया था, जर्मनी पराजित हुआ। वर्साई की सन्धि के समय किसी को ख्याल भी नहीं हो सकता था कि सिर्फ २१ बरसों के बाद जर्मनी पुन. ससार की बडी-बडी शक्तियो से लोहा लेने लगेगा। पराजित जर्मनी मे प्रतिहिंसा की भावना बहुत गहराई तक व्याप्त होगई। जर्मनी में राजतन्त्र समाप्त होगया और वहाँ प्रजातन्त्र की स्थापना होगई। पहली प्रजातन्त्र सरकार मे वहा साम्यवादियो का बहुमत था।

सन् १६२२ से इटली में फासिस्ट दल का प्रभुत्व बढने लगा। मुसोलिनी के नेतृत्व में इस दल का उद्देश्य इटली को

सैनिक दृष्टि से संसार का एक अत्यन्त शक्तिशाली देश बनाना था। इटली की देखादेखी जर्मनी में भी हिटलर ने नाज़ी दल की स्थापना की। सन् १९३२ तक यह दल अत्यन्त प्रबल होगया और सन् १९३३ के प्रारम्भ से हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर बना। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी वर्तमान महायुद्ध की तैयारियों में व्यस्त हो गया।

सन् १९३५ में इटली ने एबीसीनिया पर आक्रमण कर दिया। सम्पूर्ण संसार चुपचाप इस बलात्कार को सहता रहा। यह देख कर नाज़ी जर्मनी के हौसले बढ गए और मार्च १९३६ में हिटलर ने राइनलैण्ड को अपने अधिकार में करने के लिए जर्मन सेना रवाना कर दी। राइनलैण्ड में जनमत लिये जाने के बाद वह प्रान्त चुपचाप जर्मनी के हवाले कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी को जैसे खून का चस्का लग गया। सन् १९३८ में जर्मनी ने आस्ट्रिया का अपहरण कर लिया। सितम्बर सन् १९३८ में जर्मनी ने जैकोस्लोवाकिया के सूडेटनलैण्ड पर अपना अधिकार कर लिया। अगले ही महीने में स्लोवाक नामक प्रान्त को छोड कर शेष सम्पूर्ण जैकोस्लोवाकिया पर जर्मनी ने अपना कब्ज़ा जमा लिया। उन्हीं दिनों जर्मनी ने स्पेन के राष्ट्रीय दल के नेता फ्रैन्को की सहायता भी की।

इतना सब काम हिटलर ने ज़रा भी रक्तपात किए बिना कर लिया। मित्र राष्ट्र महायुद्ध से बचना चाहते थे। हिटलर का विश्वास था कि वह चाहे जो कुछ कराता चला जाय, कोई उसे रोकेगा नहीं। अगस्त सन् १९३९ में हिटलर ने यह घोषणा कर दी कि वह पोलैंड के कौरीडोर नामक भाग और डेन्जिग नामक स्वतन्त्र नगर पर जर्मनी का अधिकार

चाहता है। यदि पोलैंड इस कार्य में बाधा देगा तो वह सम्पूर्ण पोलैन्ड को अपने अधिकार मे कर लेगा। मित्र राष्ट्रों—इंग्लैंड और फ्रान्स—ने जर्मनी को चेतावनी दी कि यदि जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करेगा, तो वे जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर देंगे।

अगस्त सन् १६३६ के अन्त मे जर्मनी और रूस मे एक सन्धि हुई, जिस के अनुसार दोनों राष्ट्रो ने आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से एक दूसरे को सहायता देने का निश्चय कर लिया। अब तक जर्मनी और रूस में जो वैमनस्य चला आ रहा था, उसे देखते हुए यह सन्धि एक अप्रत्याशित चीज थी। इस संधि से जर्मनी के हौसले बहुत बढ गए और पहली सितम्बर १६३६ को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया।

मित्र राष्ट्रो ने उसी समय जर्मनी को चेतावनी दी। परन्तु जर्मनी ने उसकी कोई परवाह नही की। फलत ३ सितम्बर १६३६ के ११ बजे मध्यान्हपूर्व मित्रराष्ट्रों ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।

जर्मनी की तुलना मे पोलैण्ड एक बहुत अशक्त-सा देश था। भौगोलिक परिस्थितियो के कारण मित्र राष्ट्र उसे सीधी सहायता नहीं पहुचा सकते थे। इधर यह युद्ध शुरू होने के सिर्फ १५ ही दिनों के बाद रूस ने भी पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। परिणाम यह हुआ कि पोलैण्ड हार गया और जर्मनी तथा रूस ने परस्पर उसका बटवारा कर लिया।

जर्मनी और फ्रास की सीमाए जिस स्थान पर मिलती हैं, वह स्थान 'पश्चिमी मोर्चा' (वेस्टर्न फ्रण्ट) नाम से प्रसिद्ध है। इस जगह दोनों देशों ने बहुत जबरदस्त किलेबन्दी कर रक्खी

है। जर्मनी की किलेबन्दी सीगफ्रीड लाइन कहलाती है और फ्रान्स की माजीनो लाइन। पिछला महायुद्ध इसी जगह लडा गया था, परन्तु इस किलेबन्दी के कारण अभी तक वर्तमान महायुद्ध इस जगह नहीं लडा जा सका।

अक्तूबर १६३६ को मित्र राष्ट्रों तथा टर्की में एक महत्वपूर्ण सन्धि हुई। इस सन्धि को इगलैण्ड की नैतिक विजय कहा जाता है। इसके कारण भूमध्य सागर में मित्रराष्ट्रो की स्थिति सुरक्षित बन गई है।

दिम्बर १६३६ में रूस ने फ़िनलैंड पर आक्रमण कर दिया। फिनलैंड ने बडी वीरता के साथ रूस का मुकाबला किया, परन्तु रूस के मुकाबले में वह बहुत निर्बल था, इससे फरवरी १६४० के अन्त में रूस के अभिलषित प्रान्त उसे देकर फिनलैंड ने रूस के साथ सन्धि कर ली।

इस समय तक मित्र राष्ट्रो तथा जर्मनी में कहीं पर खुल कर लडाई नहीं हुई थी। केवल पनडुब्बियों की लडाई ही जारी थी। दोनों ओर के बहुत से जहाज डुबो दिए गए थे। यह सामुद्रिक युद्ध 'माईन्स' की सहायता से लडा जा रहा था। ये 'माईन्स' समुद्र मे डाले जाने वाले एक बहुत बडे विस्फोटक बम के समान हैं।

७ अप्रेल १६४० को प्रात काल ससार ने आश्चर्य के साथ सुना कि जर्मनी ने पूरे डेन्मार्क और नार्वे के बहुत से महत्वपूर्ण भाग पर अपना अधिकार कर लिया है। ये दोनों देश तटस्थ थे और युद्ध नीति के अनुसार तटस्थ देशों पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। डेन्मार्क तो जर्मनी के आधीन हो ही चुका था। आजकल उत्तर नार्वे में नार्वेजियन सेना मित्र राष्ट्रों की सेना की सहा-

लिए जो सिद्धान्त काम कर रहे हैं, उन पर मनुष्य का नियन
कहा तक है और वे कहा तक न्याय-सगत हैं । व्यक्ति, सर
और राष्ट्र के अधिकारो में भेद कर सकना हमें आना चाहि
अपने अधिकारों की रक्षा के लिये हमें सावधान और दृढ-नि
रहना चाहिए और समाज, राष्ट्र तथा अन्य देशों के अधिक
की हमें प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ये सभी अधिकार बुद्धि, यु
और न्याय पर अश्रित रहे और दूसरो के अधिकार का अपह
करने का प्रयत्न न किया जाय, तभी ससार मे शान्ति की स्थ
हो सकेगी। उसी दशा में जोवन सघर्ष मे से तीव्रता कम
सकेगी। इसी दृष्टि से हमें अर्थशास्त्र और राजनीति के सिद्ध
का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

(१)

नागरिकता

एक पुरानी गाथा के अनुसार सृष्टि के प्रारम्भ में इस पृथ्वी पर केवल बालक और बालिकाओं का ही निवास था। उन्हें किसी तरह की चिन्ता या मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। सब तरफ़ सुगन्धित फूलों और स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष थे। जगह-जगह स्वच्छ और शीतल जल के झरने बहा करते थे। मौसम सदा बहुत सुहावना रहता था। तब न बीमारी थी, न बुढ़ापा था और न मृत्यु ही थी। उन बालकों की शारीरिक दशा सदा एक-सी रहती थी और खेलने-कूदने के सिवाय उन्हें कोई काम न था।

एक दिन एक विचित्र-सा आदमी इन बच्चों के पास एक सुनहरी सन्दूक लेकर आया और कहने लगा कि मेरा यह सन्दूक रखलो। परन्तु शर्त यह है कि इसे कभी कोई खोले नहीं। बच्चों ने इस बात को मन्जूर कर लिया और वह आदमी सन्दूक रख कर चला गया।

एक दिन, जब सब लडके खेलने-कूदने के लिये बाहर गए हुए थे, पिण्डोरा नाम की एक लडकी घर मे अकेली रह गई। उस क जी मे आया कि वह सन्दूक खोल कर देखे तो, कि उस में क्या है। पिण्डोरा की अन्तरात्मा ने उसे फटकार भी बताई, परन्तु अन्त में उस से रहा नहीं गया और बडी मेहनत कर के उसने वह सन्दूक खोल ही डाला। सन्दूक खोलते ही उस में से बीसियों प्रकार के भयङ्कर पतगे उड-उड कर आसमान मे मँडराने लगे। इन में से कोई बीमारी थी, कोई चिन्ता, कोई बुढापा और कोई मृत्यु। परिणाम यह हुआ कि तब से दुनिया में बुढापा, बीमारी, मृत्यु आदि शुरू हो गई।

इस पुरानी कहानी में जिस तरह पिण्डोरा के अपराध का फल उस के सभी साथी-सगियों को भोगना पडा था, उसी तरह ससार-भर के प्रत्येक मनुष्य के कार्य का परिणाम, चाहे वह अच्छा कार्य हो या बुरा, सिर्फ उस अकेले व्यक्ति को ही नहीं भोगना पडता, बल्कि उस का प्रभाव उस के परिवार, उस के पडोसियों और उस के समाज पर भी पडता है।

मनुष्य की सामाजिकता—मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। वह अकेला नहीं रह सकता। वह एक दूसरे की मदद पर ज़िन्दा रहता है और एक दूसरे की मदद से वह अपना गुज़ारा करता है। मनुष्य-समाज में सभी लोग भिन्न-भिन्न तरह के कामो मे लगे हुए हैं, एक भी मनुष्य ऐसा नहीं, जो अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को किसी और व्यक्ति की सहायता लिये बिना स्वय पूरा कर लेता हो। यही कारण है कि एक व्यक्ति के कार्य का अच्छा या बुरा परिणाम केवल उसी व्यक्ति पर प्रभाव नहीं डालता, वह सम्पूर्ण नगर, समाज और जाति पर प्रभाव डालता है। मनुष्य की इस

परस्पराश्रितता के आधार पर ही नागरिकता का जन्म हुआ है।

अच्छे और बुरे नागरिक—अगर हम अपने कार्यों से अपने कुटुम्ब, अपने पडोसियों, अपने नगरवासियो और अपने समाज को सुख पहुँचाते हैं तो हम अच्छे नागरिक हैं और इस के विपरीत यदि सफाई, व्यवस्था, शान्ति और कानून की अवज्ञा करके हम अपने पडोसियों, नागरिकों और समाज को क्लेश पहुँचाते हैं, तो हम बुरे नागरिक हैं। एक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने पडोसियो के आराम तथा भलाई का उतना ही ध्यान रखे, जितना वह अपने लिये चाहता है। जिस नगर मे अच्छे नागरिको की सख्या जितनी अधिक होगी, वह नगर उतना ही स्वच्छ और सुखी होगा और जिस देश के ग्राम और नगर अधिक सख्या मे स्वच्छ और सुखी होंगे, वह देश उतना ही समृद्ध और उन्नत गिना जायगा।

नागरिक के अधिकार और कर्तव्य—नागरिकता के साथ जहा कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, वहा कुछ कर्तव्य भी रहते हैं। परन्तु मनुष्य स्वभाव की यह कमजोरी है कि वह कर्तव्य की अपेक्षा अधिकारों की अधिक चिन्ता करने लगता है। वास्तव में सच तो यह है कि जब तक एक नागरिक अपने नगर या समाज के प्रति निज कर्तव्यों को पूरा न करे, तब तक उस के अधिकारो का सवाल ही नहीं उठता। अधिकार और कर्तव्य इन दोनों में कर्तव्य का स्थान पहला है।

समाज मनुष्य से बढ कर है—समाज में एक व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव दूसरे व्यक्तियो पर पडना स्वाभाविक है, अत यह समाज का अधिकार है कि वह अपने नागरिको पर आवश्यक

नियन्त्रण रखे। उदाहरण के लिये, यदि एक मनुष्य अपने घर को इतना गन्दा रखता है कि उस से नगर भर में बीमारी फैलने का खतरा है तो समाज का यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति को साफ रहने के लिये बाधित करे।

व्यक्ति की महत्ता—एक व्यक्ति के चाल-चलन का प्रभाव उस के मित्रों और पडोसियो पर भी पडता है। हम अपने को ऊँच चरित्र का बना कर अपने मिलने-जुलने वालों के सामने एक आदर्श कायम कर सकते हैं। दूसरी ओर हमारे कार्यों का भौतिक प्रभाव हमारे पडोसियो पर पडता है। यदि एक आदमी सभी जगह थूकता रहता है, तो वह अपने आसपास बीमारी के कीटाणु पलने का मौका देता है। उस का परिणाम यह हो सकता है कि नगर में बीमारी फैले। इसी तरह यदि मैं सडको पर भी खेत बोने लगू, अथवा अपने बीमार जानवरो को खुला छोड दूँ, या चुनाव के मौके पर अयोग्य व्यक्ति को अपना वोट दे दूँ, तो इन सब का बुरा परिणाम न केवल मुझ अकेले को ही झेलना पडेगा, अपितु सम्पूर्ण नगर को उस से कष्ट हो सकता है।

परिवार—कुछ व्यक्तियों से परिवार बनता है। जब कोई पुरुष और स्त्री आपस में विवाह करते हैं, तो उस से एक नये परिवार की उत्पत्ति होती है। परिवार मे पिता मुख्य होता है। पत्नी, पुत्र, लडकी आदि इस के सदस्य होते हैं। सन्तान का कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता की आज्ञा माने और अपने को अधिक से अधिक योग्य बनाने का प्रयत्न करें। छोटे भाई का कर्तव्य है कि वह अपने वडे भाई की इज्जत करे और वडे भाई का कर्तव्य है कि वह अपने छोटे भाई को सुशिक्षित बनाए। इसी तरह के कर्तव्य, आदर और स्नेह के भावों से परिवार का जीवन

बँधा रहता है। एक परिवार में शान्ति रखने के लिये यह आवश्यक है कि उस के सम्पूर्ण सदस्यों का एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास हो और उन के हृदयों मे पारस्परिक स्नेह विद्यमान हो।

सम्मिलित परिवार—भारतवर्ष मे सम्मिलित परिवारो की प्रथा काफी समय से चली आ रही है। विदेशों में प्राय विवाह के बाद पति पत्नी माँ बाप से अलग जाकर रहने लगते हैं, परन्तु प्राचीन हिन्दू ढग के परिवारो मे वे लोग एक साथ, अपने मा-बाप के समीप ही रहते हैं। कल्पना कीजिये कि एक गृहस्थ के ४ पुत्र और ३ कन्याएँ हैं। कन्याएँ तो विवाह के बाद अपने नए घरो में चली जायँगी और पुत्रों के साथ विवाह के उपरान्त, उनकी पत्नियां भी आ कर रहने लगेंगी। इस तरह घर मे माँ बाप के अतिरिक्त चार अन्य दम्पति भी रहने लगेंगे। क्रमश इन सब के सन्तानें होंगी और कुटुम्ब बढता चला जायगा। प्राचीन हिन्दू-प्रथा के अनुसार इन चारों पुत्रो तथा मा बाप की पूरी आय परिवार के मुखिया (चारो पुत्रों के पिता) के पास जमा हो जायगी और वह प्रत्येक को उनकी आवश्यकता के अनुसार खर्च के लिए धन देता रहेगा। जायदाद पर सभी भाइयो का समान अधिकार होगा। आय के विभाग में पिता यह ख्याल नहीं करेगा कि अमुक पुत्र थोडा काम करता है, अत उसे व्यय के लिए थोडा धन दिया जाय।

प्राय देखा जाता है कि इस प्रथा से हिन्दू परिवारो का व्यापार-व्यवसाय तो, सहयोग के सिद्धान्तो को व्यवहार में लाने के कारण, अवश्य उन्नति कर जाता है, परन्तु इससे घर में शान्ति नहीं रहती। विभिन्न पुरुषों की रुचियों में भेद होना

बरसों तक लगातार जोतते और बोते रहे, उनका इस जमीन पर पुश्तैनी हक हो जाता है। उन्हें जमींदार न तो उस जमीन से हटा सकता है और न उनका लगान ही चढा सकता है। इस तरह ये लोग अर्धे जमींदार बन जाते हैं। भारतवर्ष मे इस तरह के मौरूसी जमींदारों की सख्या कम नहीं है।

कारीगर लोग—हिन्दोस्तान के गाँवों में सब से अधिक महत्ता जमींदार किसानो की होती है। परन्तु अब धीरे-धीरे गाव का बनिया, जो लोगों को जरूरत पडने पर पैसा उधार दिया करता है, बहुत जोर पकड गया है। फिर भी गावों मे किसानों की बहुसख्या होने न उनकी प्रतिष्ठा कारीगरो की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। बढई, चमार, लोहार आदि कारीगर किसानों के भरोसे ही गाव मे रहते हैं, इन्हीं से उन्हें आजीविका मिलती है और अनेक स्थानो पर तो इनके पास झोपडी बनाने लायक भी अपनी जमीन नहीं होती। उन्हे गाव के छोटे-छोट जमींदारों की कृपा पर ही आश्रित रहना पडता है।

नई परिस्थितियों मे अनेक पेशों की तो बहुत ही दुरवस्था हो गई है। विदेशों से, विशेषकर जापान से आजकल इतना भडकीला और सस्ता कपडा गावो में पहुँचने लगा है कि वहाँ जुलाहो की प्रतिष्ठा बहुत कम बाकी बच रही है। यही हाल लोहार आदि का भी हुआ है। देश और विदेश के बडे-बडे कल-कारखानो से भारत के गावो मे बहुत सस्ता और अपेक्षाकृत अच्छा माल पहुँच रहा है। परिणाम यह हुआ है कि गावों के कारीगरो की दशा बिगडती जा रही है।

सामाजिक जीवन—शिक्षा के अभाव से भारतीय ग्राम

प्राचीन रूढ़ियों के किले बने हुए हैं। वहा अभी तक पुरानी प्रथाओं पर अटूट श्रद्धा है। गावों में पुरोहित, ज्योतिषी, मुल्ला आदि रहते हैं और गाव के लोग उनकी बडी प्रतिष्ठा करते हैं। ज्योतिषी पत्रा आदि देखते हैं, जन्मपत्री तैयार करते हैं और लगन बनाते हैं। ब्राह्मण सामाजिक कर्म तथा ब्याह-शादी आदि में पुरोहित का कार्य करते हैं। मुल्ला मुसलमानों के धर्मगुरु हैं। पजाब के बहुत से गाँवों में सिक्खों की धर्मशालाए भी हैं, वहा गुरु ग्रन्थ साहब का पाठ होता है। ये पण्डित, मुल्ला ग्रन्थी आदि जहा लोगों के सामाजिक त्योहारों और उत्सवों का सचालन करते हैं, वहा गाव के बालकों को थोड़ा-बहुत पढ़ाते-लिखाते भी हैं।

पचायतें—ग्राम-सस्था का एक बहुत मुख्य अंग वहा की पचायतें हैं। बड़े-बड़े गावों मे बिरादरियों की पचायतें हुआ करती थीं, और छोटे गावों मे सारे गाव की। पचायत का निर्णय ग्रामीण किसानों के लिए परमात्मा का हुक्म था। उस के खिलाफ कोई मुखिया सरकारी अदालत में अपील नहीं करता था। पचायत की गद्दी पर बैठ कर मामूली किसान भी अपने को परमात्मा के सत्यभाव का प्रतिनिधि समझने लगते थे। ग्राम की गवाहिया और दोनो पक्षों की बातें सुनकर पञ्चलोग अपना निर्णय दे दिया करते थे। परन्तु धीरे-धीरे ग्रामों में से पचायतों की महत्ता कम होती गई और अब तो उनका स्थान तहसीलों की छोटी-छोटी अदालतों ने ले लिया है। भारत सरकार पिछले दस-बारह वर्षों से ग्रामों की इस लुप्तप्राय प्राचीन पचायत-सस्था का पुनरुद्धार कर रही है।

ग्रामों के कार्यकर्ता—प्रत्येक ग्राम में नम्बरदार, चौकीदार, पटवारी और जैलदार ग्राम के सरकारी कार्यकर्ता होते हैं। इनमें नम्बरदार गाव का मुखिया होता है। उत्तर-भारत मे उन्हें नम्बरदार, चौधरी या मुखिया भी कहत हैं और दक्षिण में उन्हें पटेल, नायडू, रेड्डी आदि कहा जाता है। कलैक्टर अपने जिले के सभी गाँवो के नम्बरदार नियुक्त करता है। ये लोग आमतौर से जमींदारो मे से ही चुने जाते हैं। प्राय कोशिश की जाती है कि नम्बरदारों का ओहदा वश-परम्परागत रहे। नम्बरदार का काम गाँव में शान्ति रखना और किसानो से भूमि-कर जमा करना है। उसकी सहायता के लिए चौकीदार रहता है। चौकीदार को पोलीस चौकी पर जाकर गाँव के विस्तृत समाचारो की सूचना देनी पडती है। प्राय ५० से लेकर २०० घरो तक एक चौकीदार नियत किया जाता है। इस चौकीदार की सहयता से नम्बरदार गाँव में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। पटवारी का काम उपज और बोई जमीन की निगरानी और हिसाब रखना है, वह बोई गई जमीन के कर का हिसाब लगाता है। गाँव मे पटवारी का बडा रोबदाब रहता है। अनेक गावों के ऊपर एक जैलदार हुआ करता है। दक्षिण मे उसे देसमुख कहते हैं। प्राय ४० से लेकर ५० गाँवो के ऊपर एक जैलदार होता है। इस जैलदार का काम अपने अधीनस्थ ग्रामो के चौकीदारो, नम्बरदारो और पटवारियो पर निगरानी रखनी है। जैलदार प्राय ऐसा व्यक्ति नियत किया जाता है, जिसका प्रभाव सम्पूर्ण इलाके में हो। कलैक्टर चाहे तो जैलदार का चुनाव भी करवा सकता है।

ज़िला

पंजाब में लगान जमा करने के लिए प्राय: चार गाँवों पर एक पटवारी नियत किया जाता है। औसतन ४० गाँवों पर एक जैलदार रहता है और ६० या १०० गाँवों पर एक थाना बनाया जाता है। ३ या ४ थानों पर एक तहसील होती है और ३ या ४ तहसीलों पर एक ज़िला होता है। अंगरेज़ी राज्य में ज़िला एक बहुत महत्त्वपूर्ण इकाई है।

डिप्टी कमिश्नर—ज़िले का मुखिया डिप्टी कमिश्नर होता है। सीमाप्रान्त, अवध, सी० पी० और पंजाब के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में उसे डिप्टी कमिश्नर न कह कर कलेक्टर कहते हैं। प्रान्त का गवर्नर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर नियुक्त करता है। वे प्राय: भारतीय सिविल सर्विस में से होते हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़िले में से लगान जमा करने, शान्ति स्थापित करने और फौजदारी के मामलों में न्याय देने के लिए उत्तरदायी होता है। ज़िला मैजिस्ट्रेट भी वही होता है। ज़िले की म्युनिसिपैलिटी तथा ज़िला बोर्ड के कार्य का निरीक्षण भी उसी के ज़िम्मे होता है।

पोलीस—प्रत्येक ज़िले में एक ज़िला पोलीस सुपरिण्टेण्डेण्ट रहता है, जो पोलीस के विभाग का प्रधान होता है। उसकी सहायता के लिए डिप्टी सुपरिण्टैण्डैण्ट भी नियुक्त किए जाते हैं। सुपरिण्टेण्डेण्ट की नियुक्ति प्रान्तीय सरकार द्वारा की जाती है। उसके नीचे इन्स्पैक्टर, सबइन्स्पैक्टर और सिपाही हुआ करते हैं। पोलीस-

विभाग का सबसे बड़ा हाकिम सूबे का इन्स्पैक्टर जनरल होता है। प्रत्येक थाने में एक सबइन्स्पैक्टर रहता है, जिसे थानेदार कहा जाता है। उसकी अध्यक्षता में अनेक सिपाही रहते हैं।

पोलीस का काम जिले-भर में शान्ति कायम रखना, अपराधियों को पकड़ना और व्यवस्था कायम रखने में जिले के अधिकारियों को सहायता देना है। जिले में जो बड़े शहर होते हैं, उन पर विशेष पोलीस अफसर तैनात किए जाते हैं और वहां अनेक इन्स्पैक्टर तथा थानेदार रहते हैं।

लगान जमा करना—जैसा कि कहा जा चुका है, जिले-भर में से भूमि-कर जमा करने का उत्तरदायित्व डिप्टी कमिश्नर पर होता है। डिप्टी कमिश्नर को कलैक्टर कहा ही इसलिए जाता है कि वह जिले में से लगान जमा (Collect) करता है। इस कार्य में तहसीलदार, जैलदार, कानूगो और पटवारी आदि उसकी सहायता करते हैं।

न्याय—जिले में न्याय का कार्य करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को ज़िला मजिस्ट्रेट कहा जाता है। वह फौजदारी मामलों को सुनता है। दूसरे और तीसरे दर्जे के जो मैजिस्ट्रेट जिले में काम करते हैं, उनके निर्णयों की अपीलें ज़िला मैजिस्ट्रेट ही सुनता है। आवश्यकता पड़ने पर ज़िले में अतिरिक्त ज़िला-मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए जाते हैं। दीवानी मामलों के लिए प्रत्येक ज़िले में ज़िला-जज नियत किया जाता

है, उसे सैशन जज भी कहते हैं। दीवानी मामलों के लिए अनेक दर्जे के छोटे-बड़े जज जिले में नियत किये जाते हैं, उनके खिलाफ की गई अपीलें सैशन जज सुनता है।

डिप्टी कमिश्नर जिले में शान्ति और व्यवस्था क़ायम रखने की दृष्टि से पोलीस का मुखिया भी होता है और पोलीस ही फौजदारी मामलों के केस दायर करने वाली होती है, उधर डिप्टी कमिश्नर ही जिला मजिस्ट्रेट भी होता है। इस दृष्टि से वह जिले के न्याय-विभाग का मुखिया होता है। न्याय और शासन-विभाग का एक ही व्यक्ति मुखिया हो, यह बात अनेक दृष्टियों से आक्षेप के योग्य समझी जाती है।

जिला बोर्ड—लार्ड मेयो के समय में भारतवर्ष में जिलाबोर्डों की स्थापना हुई थी। तब जिला-बोर्डों के सदस्य नामजद किए जाते थे। उसके बाद क्रमश जिला-बोर्डों में निर्वाचन की प्रथा होती गई और अब उनमें अधिकाश संख्या निर्वाचित सदस्यों की ही होती है। जिला-बोर्डों का काम सड़कें बनवाना, बाग लगवाना, स्कूल, अस्पताल, सराय आदि बनवाना और उनका संचालन करना है। इसके अतिरिक्त जिले की जायदाद की व्यवस्था करना तथा अन्य भी अनेक छोटे-छोटे काम जिला-बोर्डों की देखरेख में होते हैं।

सरकारी नियन्त्रण—जिला-बोर्ड अपना बजट खुद ही बनाते और खुद ही पास करते हैं। परन्तु उसकी स्वीकृति प्रान्तीय सरकार से ली जाती है। इस तरह सरकार जिला-बोर्डों

के कार्य पर कठोर नियन्त्रण रख सकती है। पंजाब में जिला-बोर्डों के निर्वाचन में सम्मिलित निर्वाचन (Joint electorate) की प्रथा है।

नगर समितियां

म्युनिसिपैलिटियां—भारतवर्ष के नगरों का प्रबन्ध करने के लिए प्रत्येक नगर में म्युनिसिपैलिटियाँ बनी हुई हैं। ये म्युनिसिपैलिटियाँ वर्तमान राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। इन्हें स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएँ कहा जाता है। म्युनिसिपैलिटियों के सदस्य चुने जाते हैं। जब से इस देश में अँग्रेजी राज्य की स्थापना हुई, तभी से यहाँ म्युनिसिपैलिटी और कारपोरेशनों की नींव डाली गई। भारत के इतिहास में सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के जमाने में भी नगर-संस्थाओं के होने के विश्वसनीय प्रमाण मिलते हैं।

कारपोरेशन—भारतवर्ष के चार बड़े नगरों, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कराची में कारपोरेशन कायम हैं। अब अन्य भी अनेक नगरों में कारपोरेशन स्थापित होने वाले हैं। पंजाब की राजधानी के लिए 'लाहौर कारपोरेशन एक्ट' बन रहा है। कारपोरेशनों का सचालन मेयर, एल्डरमैन, एक्जेक्टिव अफसर मिल कर करते हैं। मेयर का निर्वाचन प्रतिवर्ष किया जाता है।

म्युनिसिपैलिटी और स्माल-टाउन कमेटी—अन्य

नगरों में म्युनिसिपैलिटिया हैं, और उन्हें अपने प्रधान को चुनने का अधिकार प्राप्त है। पहले डिप्टी कमिश्नर ही म्युनिसिपैलिटियो के प्रधान हुआ करते थे। अब भी अनेक म्युनिसिपैलिटियो ने अपनी इच्छा से डिप्टी कमिश्नरो को अपना प्रधान बनाया हुआ है। बहुत छोटे-छोटे नगरों या कसबो में स्माल-टाउन कमेटिया इसी उद्देश्य से कायम हैं।

नगर-समितियों के कार्य—शहर मे सफ़ाइ, छिडकाव, प्रकाश आदि का प्रबन्ध करना, सडकें बनाना और स्कूल, हस्पताल आदि स्थापित करना, मकानो के नक्शे पास करना, नई आबादियों के निर्माण पर नियन्त्रण रखना, पानी का प्रबन्ध—ये सब म्युनिसिपैलिटियों के कार्य हैं। म्युनिसिपैलिटियों की अपेक्षा करपोरेशनो के अधिकार अधिक हुआ करते हैं।

प्रान्त-भर की पचायतो, स्माल-टाउन कमेटियो, म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डो के कार्यों की देखरेख करने के लिए एक स्थानीय स्वराज्यमन्त्री नियुक्त किया जाता है। नई शासन प्रणाली के आधार पर स्थापित प्रान्तीय सरकार पञ्चायतो और नगर-सभाओं की दशा को सुधारने का विशेष प्रयत्न करती रही हैं। इस समय भारतीय जनता म्युनिसिपैलिटियो के चुनावो तथा कार्यो मे खूब दिलचस्पी ले रही है।

(३)

भारतीय शासन

देश का साधारण परिचय

आबादी की दृष्टि से भारतवर्ष ससार का दूसरा देश है। सन् १६३१ की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी ३३, ८१, ७०, ६३२ है, अर्थात् ससार की आबादी का क़रीब पाचवा भाग। इस देश का क्षेत्रफल करीब १६ लाख वर्गमील है, अर्थात् इँग्लैंड से बीस गुना और रूस के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण यूरोप के लगभग बराबर।

भारतवर्ष को सम्पूर्ण ससार का नमूना या एक छोटा ससार कहा जा सकता है। गरम से गरम और ठण्डे मे ठण्डा जलवायु इस देश में उपलब्ध होता है। हिमालय की बरफ़ीली चोटियां और राजपूताना के गरम रेगिस्तान इसी देश में हैं। चिरापूँजी में प्रतिवर्ष ४०० इंच से ऊपर वर्षा होती है और मुल्तान मे वर्ष-भर मे १० इच भी वर्षा नहीं

ती। कहीं घने जंगल और हरे-भरे मैदान हैं, तो कहीं ऊबड़-खाबड़ पथरीले टीले और रेतीले रेगिस्तान। इस देश की प्रकृति में जितना भेद है, उतना ही भेद इस देश के मनुष्य-जगत् में भी है। सीमाप्रान्त के एक श्वेत-वर्ण हट्टे-कट्टे विशाल-काय पठान और मद्रास के पतले सिकुड़े कमज़ोर-से, कृष्णवर्ण तामिल सज्जन में परस्पर इतना अधिक भेद है, जितना यूरोप के किन्हीं दो विभिन्न देशो के निवासियो मे न होगा। उनका पह-नावा, बातचीत, रुचि, स्वभाव, भाषा, लिपि, रीति-रिवाज कोई भी आपस मे नहीं मिलते।

प्रान्त और भाषाए—नए शासन-विधान के अनुसार हिन्दोस्तान में कुल मिलकर ११ प्रान्त हैं। इन प्रान्तों में परस्पर बड़ा भेद है। हिन्दोस्तान में जितनी भाषाएँ बोली जाती हैं, उनकी संख्या दो सौ से ऊपर है। इसी प्रकार लिपियों की संख्या भी बहुत अधिक है। परन्तु मुख्य-मुख्य भाषाएँ निम्नलिखित हैं—

	बोलने वालों की संख्या
हिन्दी (पंजाबी-सहित)	१५ करोड़
बंगाली	५½ ,,
तैलगू	२½ ,,
मराठी	२ ,,
तामिल	२ ,,
कनाडी	१½ ,,

उडिया	१¾	,,
गुजराती	१	,,

इनमें से हिन्दी (हिन्दोस्तानी) देवनागरी और उर्दू दो लिपियों मे लिखी जाती है। पजाब की अपनी पृथक पि नागरी से बहुत मिलती है। उत्तर-भारत में प्राय न्दी का प्रचार है। बोलने वालो की दृष्टि से हिन्दी संसार की सरी भाषा है।

अनेक भेद—हिन्दोस्तान की जनता मे परस्पर बहुत साधारण भेद हैं। यहाँ लोगो का रहन-सहन, रीति-रिवाज, शाक आदि कुछ भी आपस में नहीं मिलता। लोग धर्म को डी महत्ता देते हैं और धर्मों के लिहाज़ से भारत की जनता स प्रकार बाटी जा सकती है—

हिन्दू	२३,६१,६५,१४०	अनुयायी
मुसल्मान	७,७६,३७,५४५	,,
ईसाई	६२,६६,७६३	,,
सिक्ख	४३,३५,७७१	,,

पेशावर के एक पठान, मारवाड के एक राजपूत, नदिया (बगाल) के एक भट्टाचार्य ब्राह्मण और त्रिचनापली के एक अब्राह्मण रैडी में परस्पर क्या समानता है, यह कहना कठिन है। इस दशा में यह पूछा जा सकता है कि इन लोगो को किस बात ने एक सूत्र में पिरो रक्खा है। वे एक ही देश के निवासी क्यों माने जाते हैं और उनके इन पारस्परिक भेदो को छोटा

किस तरह समझा जा सकता है।

एकता के आधार—भारतवर्ष जितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, उतने क्षेत्रफल में, यूरोप में करीब दो दर्जन विभिन्न देश विद्यमान हैं। ऐसे देश, जिनकी सरकारों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं और अनेक में तो साँप और उल्लू की-सी दुश्मनी है। इधर, इस देश में, १६ लाख वर्गमील का यह विशाल भूभाग एक ही सरकार के अधीन है और राजनीतिक दृष्टि से वह एक इकाई है। यह आज ही की बात नहीं, आज से कुछ समय पहले की बात नहीं, मध्ययुग की बात नहीं, बल्कि आज से करीब २२०० बरस पहले, जब यूरोप के अनेक देशों के निवासियों को सभ्य कह सकना भी कठिन था, यह देश राजनीतिक दृष्टि से एक ही शासन के अधीन था। सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य और सम्राट् अशोक के शासनकाल में पाटलीपुत्र की सरकार भारतवर्ष के एक बहुत बड़े भाग तथा अफ़ग़ानिस्तान पर एकछत्र राज्य किया करती थी। उसके बाद इतिहास के गुप्त-काल में, मुगल-काल में और मराठा-काल में, यानी प्रत्येक काल में, बहुत बार भारतवर्ष एक ही शासन की अधीनता में रहा। इस तथ्य ने राजनीतिक दृष्टि से इस देश में, बहुत समय से एकता का बीज बो रक्खा है।

केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, संस्कृति, सभ्यता और साहित्य की दृष्टि से भी भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से एकता की भावना चली आ रही है। वैदिक साहित्य के निर्माण में जहाँ

उड़िया	१ १/४	,,
गुजराती	१	,,

इनमें से हिन्दी (हिन्दोस्तानी) देवनागरी और उर्दू इन दो लिपियों मे लिखी जाती है। पंजाब की अपनी पृथक लिपि नागरी से बहुत मिलती है। उत्तर-भारत मे प्राय. हिन्दी का प्रचार है। बोलने वालो की दृष्टि से हिन्दी संसार की तीसरी भाषा है।

अनेक भेद—हिन्दोस्तान की जनता मे परस्पर बहुत असाधारण भेद हैं। यहाँ लोगो का रहन-सहन, रीति-रिवाज, पोशाक आदि कुछ भी आपस में नहीं मिलता। लोग धर्म को बडी महत्ता देते हैं और धर्मों के लिहाज़ से भारत की जनता इस प्रकार बाटी जा सकती है—

हिन्दू	२३,९१,९५,१४०	अनुयायी
मुसलमान	७,७६,३७,५४५	,,
ईसाई	६२,९६,७६३	,,
सिक्ख	४३,३५,७७१	,,

पेशावर के एक पठान, मारवाड के एक राजपूत, नदिया (बंगाल) के एक भट्टाचार्य ब्राह्मण और त्रिचनापली के एक अब्राह्मण रैडी में परस्पर क्या समानता है, यह कहना कठिन है। इस दशा में यह पूछा जा सकता है कि इन लोगों को किस बात ने एक सूत्र में पिरो रक्खा है। वे एक ही देश के निवासी क्यों माने जाते हैं और उनके इन पारस्परिक भेदो को छोटा

किस तरह समझा जा सकता है।

एकता के आधार—भारतवर्ष जितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, उतने क्षेत्रफल में, यूरोप में करीब दो दर्जन विभिन्न देश विद्यमान हैं। ऐसे देश, जिनकी सरकारों मे परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं और अनेक मे तो नाग और उल्लू की-सी दुश्मनी है। इधर, इस देश में, १६ लाख वर्गमील का यह विशाल भूभाग एक ही सरकार के अधीन है और राजनीतिक दृष्टि से वह एक इकाई है। यह आज ही की बात नहीं, आज से कुछ समय पहले की बात नहीं, मध्ययुग की बात नहीं, बल्कि आज से करीब २२०० बरस पहले, जब यूरोप के अनेक देशों के निवासियों को सभ्य कह सकना भी कठिन था, यह देश राजनीतिक दृष्टि से एक ही शासन के अधीन था। सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य और सम्राट् अशोक के शासनकाल में पाटलीपुत्र की सरकार भारतवर्ष के एक बहुत बडे भाग तथा अफगानिस्तान पर एकछत्र राज्य किया करती थी। उसके बाद इतिहास के गुप्त-काल में, मुगल-काल में और मराठा-काल में, यानी प्रत्येक काल में, बहुत बार भारतवर्ष एक ही शासन की अधीनता में रहा। इस तथ्य ने राजनीतिक दृष्टि से इस देश में, बहुत समय से एकता का बीज बो रक्खा है।

केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, संस्कृति, सभ्यता और साहित्य की दृष्टि से भी भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से एकता की भावना चली आ रही है। वैदिक साहित्य के निर्माता में

पंजाब के आर्यों का भाग है, वहां दक्षिण निवासियों का भी कु
कम हाथ नहीं। भिन्न-भिन्न युगों में, इस देश में सामाजि
साहित्यिक और सांस्कृतिक जागृति की जो लहरें चलीं, उनर
छाप इस महादेश के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़ती रही
साहित्य, कला, संगीत इन सभी की दृष्टियों से भारतवर्ष में एक
की भावना सदियों से विद्यमान है और यह दावे के साथ कहा ज
सकता है कि इस देश के विभिन्न भागों के निवासियों में, जलवा
शिक्षा का अभाव, जातियों की भिन्नता आदि के कारण उन
पोशाक, रहन-सहन और बोल-चाल आदि में चाहे कितना ब
अन्तर क्यों न आ गया हो, परन्तु वास्तव में वे एक राष्ट्र
निवासी हैं और उनमें परस्पर गहरी एकता के बीज विद्यमान हैं
पुराने जमाने से कुम्भ आदि मेलों की मौजूदगी, जहां सम्पू
भारतवर्ष के भागों से लोग जमा होते हैं, इस देश की आधारभू
एकता का प्रमाण है। सिर्फ हिन्दुओं में ही नहीं, इस देश के मुसल
मान और सिक्खों में भी परलोक की महत्ता, भक्ति आदि भा
की प्रधानता है और यह सारे देश में एक ही संस्कृति होने क
प्रमाण है।

भारत-सरकार

अंग्रेजी पार्लियामैण्ट—वर्तमान कानून के अनुसा
हिन्दोस्तान की किस्मत का फ़ैसला करने का अन्तिम अधिका
इंग्लैण्ड की पार्लियामैण्ट को है। वह भारतवर्ष में, चाहे जो नी

ओर जो शासन-विधान जारी कर सकती है। अगरजी पार्लियामैण्ट ने भारतवर्ष के शासन का काम चलाने के लिए अपने मन्त्रि-मण्डल में एक भारत-सचिव (सैक्रेटरी आफ स्टेट फार इण्डिया) नियत किया हुआ है।

भारत-मन्त्री—यह मन्त्री भारत-सम्बन्धी सभी बातों के लिए पार्लियामैण्ट के सामने जिम्मेवार होता है। अन्य मन्त्रियों की तरह वह भी पार्लियामैण्ट की सब से बड़ी पार्टी के मुखियाओं में से, प्रधान-मन्त्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। हिन्दोस्तान के वायसराय का यह कर्तव्य है कि वह उसके आदेशों का पालन करे। वायसराय का यह भी कर्तव्य है कि वह इस देश की दशाओं से भारत-मन्त्री को सूचित करता रहे।

भारत-मन्त्री की कौन्सिल—भारत-मन्त्री की सहायता के लिए दो सहायक-मन्त्री होते हैं और एक हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। इनके अतिरिक्त एक भारतकौंसिल का भी निर्माण किया जाता है, जिस में ८ से लेकर १२ तक सदस्य होते हैं। यह कौसिल भारतवर्ष के सम्बन्ध के सभी मामलों में भारत-मन्त्री को सहायता देती है और भारत-मन्त्री नीति के मामलों में इस कौंसिल से सलाह लेकर काम करता है। सन् १९३५ के शासन-विधान के अनुसार हाई कमिश्नर की नियुक्ति भारतवर्ष की ओर से होने लगी है।

सरकार का कार्य तीन भागों में विभक्त होता है—

१ शासन, २ व्यवस्थापन (कानून बनाना) और ३ न्याय। इन तीनो विभागों के सम्बन्ध मे यहा पृथक्-पृथक लिखा जायगा।

शासन

वायसराय और गवर्नर-जनरल—इस देश के शासन विभाग का मुखिया गवर्नर-जनरल कहलाता है और सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से उसे वायसराय भी कहा जाता है। सम्राट की अनुमति से इंग्लैंड का प्रधान-मन्त्री उस की पाँच वर्षों के लिए नियुक्ति करता है। वह प्राय इंग्लैंड के कुलीन घरानों का वशज होता है। प्रयत्न किया जाता है कि इंग्लैंड के बहुत श्रेष्ठ व्यक्तियों को भारतवर्ष का वायसराय बना कर भेजा जाय, क्योंकि यह पद बहुत ही सन्मान और उत्तरदायित्व का है।

वायसराय की कार्य-समिति—वायसराय को शासन के कार्यों में सहायता देने के लिए एक कार्य समिति नियुक्त की जाती है। वायसराय इस समिति का प्रधान होता है। भारतवर्ष का कमाण्डर-इन-चीफ (प्रधान सेनापति) इस समिति का अपने पद के अधिकार से सदस्य होता है। इनके अतिरिक्त ६ सदस्य अन्य होते हैं, जिनमे से ३ अवश्य भारतीय होते हैं। समिति का सारा कार्य सर्वसम्मति से ही करने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु बहुसम्मति से भी काम किया जा सकता है। समिति के सदस्य क्रमश भारत-सरकार के शासन

विभाग के निम्नलिखित महकमों के मुखिया होते हैं—सेना और रक्षा, देश का गृह (आन्तरिक) प्रबन्ध, रेलवे और व्यापार, व्यवसाय और श्रम, आय व्यय, कानून और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भूमि। वायसराय को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह कार्य-समिति की राय न माने। महायुद्ध के दिनों में इस कार्य समिति की सदस्य-सख्या बढाने का प्रयत्न हो रहा है।

वायसराय और व्यवस्थापिका सभा—वायसराय भारतवर्ष की किसी व्यवस्थापिका सभा का सदस्य नहीं होता। परन्तु उनके अधिवेशनों में वह अपना भाषण दे सकता है। वायसराय की अनुमति से ही असेम्बली और कौन्सिल आफ स्टेट के अधिवेशन बुलाए जाते हैं और उसी की अनुमति से नया चुनाव होता है। कोई बिल वायसराय की अनुमति के बिना व्यवस्थापिका सभा में पेश नहीं हो सकता। अवश्यकता पड़ने पर वह किसी भी व्यवस्थापिका सभा के अधिवेशन को रोक सकता है। असेम्बली और कौंसिल आफ स्टेट में जो बिल पास होते हैं, वे वायसराय की अनुमति पाकर ही कानून बन सकते हैं। यदि किसी बिल को असेम्बली या कौंसिल आफ स्टेट फेल कर दे, तो वह भी वायसराय की अनुमति से कानून बन सकता है।

विशेष अधिकार—वायसराय को, व्यवस्थापिका सभाओं में पेश किए बिना आर्डीनान्स जारी करने का भी अधिकार है। ये आर्डीनान्स बाकायदा कानून समझे जायेंगे। प्रत्येक आर्डीनान्स ६ मास बाद स्वयं समाप्त हो जाता है। उसे जारी रखने के

लिये आवश्यक होता है कि वायसराय उस की पुन घोषणा करे।

सम्राट का प्रतिनिधि——भारतवर्ष में वायसराय सम्राट का प्रतिनिधि है, अत. वह इस देश का सब से प्रमुख व्यक्ति माना जाता है और उसे देशी राज्यो से उपहार लेने का अधिकार भी प्राप्त है। उस के अधिकार और शक्तिया अपरिमित हैं। ससार के बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पदों में से एक पद भारतवर्ष के वायसराय का भी है।

वायसराय की कार्य-समिति के सदस्य जिन विभागों के अध्यक्ष होते हैं, उन का जिक्र ऊपर किया जा चुका है। वायसराय उस समिति का प्रधान तथा सम्राट का प्रतिनिधि होने के अतिरिक्त विदेशी-सम्बन्ध तथा राजनीतिक विभाग का स्वय मुखिया होता है।

सन् १९३५ का भारतीय शासन विधान——सन १९३५ मे जो नया भारतीय शासन-विधान तैयार हुआ, उस के अनुसार भारतवर्ष ने एक सघ (Federation) का रूप धारण करना था, और देशी रियासतों ने भी इस सघ का सदस्य बन जाना था। परन्तु भारतीय जनता का बहुमत इस सघ शासन विधान के पक्ष मे नहीं था। वर्तमान महायुद्ध के प्रारम्भ होते ही अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा कर दी कि भारतवर्ष के १९३५ के शासन-विधान का सघ सम्बन्धी भाग कार्य रूप में जारी नहीं किया जायगा।

उस की जगह किस ढंग का और क्या शासन विधान बनेगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। तथापि सन् १९३५ के भारतीय संघ शासन-विधान का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। यह निश्चित है कि केन्द्र का नया शासन-विधान बनाते हुए १९३५ के विधान से काफी सहायता ली जायगी। अतः वह विधान संक्षेप से यहाँ दिया जा रहा है।

फिडरेशन में द्वैध शासन—प्रान्तों का द्वैध शासन सन् १९३५ के कानून के अनुसार केन्द्रीय सरकार में ले आया गया। जैसा कि पहले कहा चुका है, अब तक वायसराय अपनी कार्य समिति के सदस्यों का निर्वाचन भारत मन्त्री की अनुमति से स्वयं करता है। उन मे भारत की व्यवस्थापिका सभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। परन्तु १९३५ की प्रस्तावित संघ प्रणाली के अनुसार वायसराय की व्यवस्थापिका सभा के भी दो भाग कर दिये गये। रक्षा, विदेशी नीति, धर्म और सीमा प्रान्त का शासन—ये कार्य सीधे तौर से वायसराय के हाथ में रखे गये और इन के लिये नियुक्त तीन नामजद सदस्यों पर भारतवर्ष की व्यवस्थापिका सभा (फिडरल एसेम्बली और कौन्सिल आफ स्टेट) का कोई नियन्त्रण नहीं रखा गया। ये विषय सुरक्षित (Reserved) विषय कहलाते थे।

हस्तान्तरित विषय—उपर्युक्त विषयों को छोड़ कर शेष सभी विषय हस्तान्तरित (Transfered) विषय

और एक मन्त्रि-मण्डल ने उन का सञ्चालन करना था। इस मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों की संख्या दस से अधिक नहीं हो सकती थी।

इन के अतिरिक्त गवर्नर जनरल के हाथ में अन्य शक्तियाँ भी रहीं। देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखना, सरकारी कर्मचारियों तथा देसी नरेशों के हितों की रक्षा करना, अल्पमत की भारतीय जातियों के अधिकारों और अँग्रेज़ी व्यापार को सुरक्षित रखना, आर्थिक स्थिरता आदि बातें वायसराय के अधीन रहीं। व्यवस्थापिका सभा से पास किये गए बिलों को रद्द करने और फ़ेल किए बिलों को पास करने का उस का अधिकार पहले के समान जारी रहा। वह आर्डीनान्स भी जारी कर सकता था और ज़रूरत पड़ने पर मन्त्रि-मण्डल या व्यवस्थापिका सभा के बिना भी भारत के शासन का पूर्ण सञ्चालन कर सकता था।

संघ की व्यवस्थापिका सभाएँ

सन् १६३५ के शासन-विधान के अनुसार केन्द्रीय संघ व्यवस्थापन का कार्य सम्राट के सीधे प्रतिनिधि वायसराय तथा कौंसिल आफ़ स्टेट और फ़िडरल असेम्बली नाम की दो सभाओं के सपुर्द रखा गया।

कौंसिल आफ़ स्टेट—इस सभा के सदस्यों की संख्या २६० निश्चित हुई, जिन में से १५६ सदस्य अंग्रेज़ी भारत के रहने थे और १०४ सदस्य भारतीय रियासतों के।

बजट—बजट तथा आय-व्यय सम्बन्धी सभी बिल पहले फिडरल असेम्बली मे पेश किए जाने थ और उसके बाद कौन्सिल आफ स्टेट मे। दोनो सभाओ मे मतभेद होने पर उनका सम्मिलित अधिवेशन होता। वायसराय के विशेष अधिकारों के सम्बन्ध में व्यवस्थापिका सभाए कोई मत न दे सकतीं थी।

सम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व—भारतवर्ष की सभी व्यवस्थापिका सभाओं में सम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा है। अर्थात् इस देश के निवासियो का विभाग धर्मों के आधार पर किया गया है। हिन्दुओं से आशा की जाती है कि वे हिन्दू को ही अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, और मुसलमानो से आशा की जाती है कि वे मुसलमानो को अपना नुमाइन्दा बनाएगे। इसलिये हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, एंग्लो इण्डियन और यूरोपियन इन सब का पृथक्-पृथक् प्रतिनिधित्व करने की प्रथा भारतीय व्यवस्थापिका सभाओं तथा अन्य निर्वाचित सस्थाओ मे डाली गई है। परिणाम यह हुआ है कि भारत की [illegible]-पृथक् भागो मे बटी हुई है। ससार के

बलोचिस्तान	०	०	१	१
भारतीय ईसाई	१	०	१	२
ऐंग्लो इण्डियन	०	०	१	१
यूरोपियन	३	१	३	७
	५०	५०	५०	१५०

देशी रियसतों के सदस्यों की नियुक्ति भी इसी तरह तीन ग्रुपों मे करने का निश्चय हुआ था।

फिडरल असेम्बली—भारत-संघ की फिडरल असेम्बली मे ३७५ सदस्य रहने थे, इनमें से २५० सदस्य अंगरेज़ी भारत के और १२५ देशी रियासतों के। असेम्बली का जीवन काल पाँच वर्षों का रक्खा गया। प्रान्तों के लिहाज से इस असेम्बली के सदस्यो की तालिका आगे दी गई है।

व्यवस्थापिका सभाओं का कार्य—बजट को छोड़ कर शेष कोई भी विषय पहले किसी सभा में पेश किया जा सकता था। यह बिल दोनों सभाओं से पास होकर वायसराय के पास पहुचना चाहिये। वह या तो (क) बादशाह के नाम पर उसे स्वीकार कर सकता था, या (ख) बादशाह के विचार के लिये भेज सकता था और या (ग) पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता था। यदि दोनों सभाओं मे असहमति हो, तो दोनों का एक साथ अधिवेशन किया जाना था और अधिवेशन मे जो कुछ बहुमत से पास होता, वही दोनों सभाओं की राय समझी जाती।

कोन्सिल ऑफ स्टेट

प्रान्त	जनरलसीट	हरिजन	सिक्ख	स्त्रियाँ	मुसलमान	योग
मद्रास	१४	१	—	१	४	२०
बम्बई	१०	१	—	१	४	१६
बंगाल	८	१	—	१	१०	२०
युक्त-प्रान्त	११	१	—	१	७	२०
पंजाब	३	—	४	१	८	१६
बिहार	१०	१	—	१	४	१६
मध्यप्रान्त	६	१	—	—	१	८
आसाम	३	—	—	—	२	५
सीमा-प्रान्त	१	—	—	—	४	५
उड़ीसा	४	—	—	—	१	५
सिन्ध	२	—	—	—	३	५
बलोचिस्तान	—	—	—	—	१	१
दिल्ली	१	—	—	—	—	१
अजमेर	१	—	—	—	—	१
कुर्ग	१	—	—	—	—	१
ऐंग्लो इण्डियन	—	—	—	—	—	१
यूरोपियन	—	—	—	—	—	७
देसी ईसाई	—	—	—	—	—	२
योग						१५०

मुसलमानों की अधिक संख्या, सम्मिलित निर्वाचन के सिद्धा
को स्वीकार नहीं करती। इसी कारण पिछली राउण्ड टेब
कान्फ्रैंस मे हिन्दू तथा मुसलमान प्रतिनिधियो मे इसी बात
कोई समझौता न हो सका था और उस समझौते के अभ
मे इग्लैंण्ड के प्रधान मन्त्री ने सीटों के बटवारे के सम्बन्ध
एक निर्णय दे दिया था, वह निर्णय अब 'कम्यूनल अवा
(साम्प्रदायिक निर्णय) के नाम से प्रसिद्ध है। इस निर्णय
आधार पर कौन्सिल आफ स्टेट तथा फिडरल असेम्बली
में इन सम्प्रदायो के लिहाज से प्रतिनिधियों की संख्या जि
प्रकार रक्खी गई थी, उसकी तालिका अगले पृष्ठों (६१ और ६
पर दी गई है।

हरिजन और हिन्दू—सन् १९३५ के शासन वि
से हरिजनो के लिए विशेष सीटें सुरक्षित रख दी गईं। इन स
का निर्वाचन हिन्दू और हरिजनो ने मिलकर करना था। हरि
ने अपने में से ४, ४ उम्मीदवार चुनने थे। उन्हीं उम्मीद
में से, हिन्दू और हरिजन मिलकर किसी एक व्यक्ति को बहु
द्वारा प्रतिनिधि निर्वाचित कर सकते थे।

देशी रियासतें—फिडरल असेम्बली मे देशी राज्यो
जो प्रतिनिधि जाने थे, उन्हें महाराजाओं ने ही नामजद क
था। फिडरल असेम्बली के लिए रियासतों की आबादी
आधार पर उनकी सीटें निश्चित की गईं। बडी रियासतों
सीधेतौर स अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला थ

फिडरल असेम्बली

प्रान्त	जनरल सीटें-कुल	जनरल सीटें-हरिजन	सिक्ख	मुसलमान	एंग्लो-इंडियन	यूरोपियन	भारतीय ईसाई	व्यापार	जमींदार	मजदूर	स्त्रियां	योग
मद्रास	१९	४	—	८	१	१	२	२	१	१	२	३७
बम्बई	१३	२	—	६	१	१	१	३	१	२	२	३०
बंगाल	१०	३	—	१७	१	१	१	३	१	२	१	३७
युक्तप्रांत	१९	३	—	१२	१	१	१	—	१	१	१	३७
पञ्जाब	६	१	६	१४	—	१	१	—	१	—	१	३०
बिहार	१६	२	—	९	—	१	१	—	१	१	१	३०
मध्यप्रान्त	९	२	—	३	—	—	—	—	१	१	१	१५
आसाम	४	१	—	३	—	१	१	—	—	१	—	१०
सीमा-प्रान्त	१	—	—	४	—	—	—	—	—	—	—	५
उड़ीसा	४	१	—	१	—	—	—	—	—	—	—	५
सिन्ध	१	—	—	३	—	१	—	—	—	—	—	५
बलोचिस्तान	—	—	—	१	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
दिल्ली	१	—	—	१	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
अजमेर	१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
कुर्ग	१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
प्रान्त रहित	—	।	—	—	—	—	—	३	—	१	—	[illegible]
योग	१०५	१९	६	८२	४	८	८	११	७	१०	९	२५०

उदाहरणार्थ हैदराबाद के सोलह प्रतिनिधि जाने थ और मैसूर क सात। कौंसल आफ स्टेट में प्रतिनिधियों की सख्या आबादी क आधार पर निश्चित नहीं की गई थी। वहा हैदराबाद को ५, मैसूर, काश्मीर, ग्वालियर और बडौदा को तीन-तीन, कलात, ट्रावनकोर, कोचीन, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर तथा कतिपय अन्य रियासतों को दो दो, कुछ को एक-एक और बहुत छोटी रियासतो को ग्रुप बनाकर एक-एक सीटें दी गई थी। ग्रुपों मे रियासतो के महाराजाओ ने मिलकर अपना प्रतिनिधि चुनना था।

सघ व्यवस्थापिका सभाओं के कार्य—भारतवर्ष की कौन्सल आफ़ स्टेट तथा फिडरल असेम्बली के अधीन निम्नलिखित विषयो के सम्बन्ध मे कानून बनाने का अधिकार रक्खा गया था —

१ भारत की आन्तरिक रक्षा
२ बाह्य मामले
३ मुद्रा
४ भारतीय रेलवे
५ डाक और तार
६ तट-कर
७ आय कर (इनकम टैक्स)

प्रान्तीय सरकारें

प्रान्त— सन् १९३५ के शासन-विधान के अनुसार भारतवर्ष को ११ बड़े प्रान्तों में विभक्त किया गया है। ये ११ गवर्नरों के प्रान्त हैं। इनके अतिरिक्त अँगरेज़ी बलोचिस्तान, दिल्ली, अजमेर,मारवाड़ और कुर्ग ये छोटे प्रान्त चीफ कमिश्नरों के प्रान्त कहलाते हैं। भारत के प्रान्तों की आबादी इस प्रकार है—

मद्रास	४, ६७, ४०, १०७
बम्बई (अदन सहित)	१, ८१, ६२, ४७५
बंगाल	५, ०१, १४, ००२
युक्त-प्रान्त	४, ८४, ०८, ७६३
पंजाब	२, ३५, ८०, ८५२
बिहार	३, २५, ५८, ०५६
उड़ीसा	८१, ७४, ०००
मध्य-प्रान्त और बरार	१, ५५, ०७, ७२३
आसाम	८६, २२, २५१
सीमा-प्रान्त	२४, २५, ०७६
सिन्ध	३८, ८७, ०००
बलोचिस्तान	४,६३,५०८
दिल्ली	६,३६,२४६
अजमेर-मारवाड़	५,६०,२९२
कुर्ग	१,६३,३२७
अण्डेमन आदि	२९,४६३
योग	२९,००,६३,२४१

भारतवर्ष की करीब ६० प्रतिशत जनता गाँवो में रहती है। कुल मिलाकर २३१६ शहर हैं और ६,८५,६६५ गाँव हैं। शहरो में बसने वाले लोगो की सख्या (वर्मा को मिलाकर) ३६० लाख है और गावो मे रहनेवालो की सख्या ३१ करोड २८ लाख है।

भारतवर्ष की केन्द्रीय सरकार का अधिक सम्बन्ध शहरो के साथ है, परन्तु प्रान्तीय सरकारो का सीधा सम्बन्ध गाँवो के साथ भी रहता है। नागरिकता के अध्याय मे गावो के शासन का जिक्र किया जा चुका है, यहाँ प्रान्तीय सरकार की शासन-प्रणाली का वर्णन किया जायगा।

शासन

गवर्नर—प्रान्तो के गवर्नरो की नियुक्ति भी सम्राट द्वारा होती है, और वही सम्राट की ओर से प्रान्त के शासन का मुखिया होता है। शासन के कार्य मे वह मन्त्रियों की सलाह पर चलता है। गवर्नर के विशेष अधिकारो को छोडकर शेष सभी कार्यों के लिये मन्त्री नियुक्त किए जाते हैं।

गवर्नर के विशेषाधिकार—प्रान्त मे शान्ति कायम रखने तथा अल्पमतो के अधिकारों की रक्षा के लिए गवर्नर को बहुत से विशेषाधिकार दिए गए हैं। वह चाहे तो सम्पूर्ण मन्त्रि मण्डल को बरखास्त कर सकता है और प्रान्त के शासन की बागडोर सीधे तौर से अपने हाथ में ले सकता है। उसे आर्डी-

नान्स जारी करने का अधिकार भी दिया गया है। वायसराय गवर्नरों को जो आज्ञाएँ दे, उनके अनुसार कार्य करना उनका कर्तव्य है। आवश्यकता पड़ने पर वायसराय जो आर्डीनान्स प्रकाशित करेगा, उनका पालन प्रान्तों के गवर्नरों की सहायता से ही करवाया जायगा।

मन्त्रि-मण्डल — जैसा कि पहले कहा जा चुका है, माण्ड-फोर्ड सुधारों के अनुसार भारतवर्ष के प्रान्तों में द्वैध शासन प्रणाली थी, परन्तु अब प्रान्तों के शासन के सम्बन्ध का कोई विषय सुरक्षित नहीं रहा। इस तरह प्रान्तों मे शासन पर व्यवस्था-पिका सभाओं का पूरा नियन्त्रण हो गया है। प्रत्येक प्रान्त मे व्यवस्थापिका सभा के बहुमत का नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त किया जाता है और इस प्रधानमन्त्री की सलाह से प्रान्त का गवर्नर आवश्यकतानुसार ४ से लेकर १२ मन्त्री नियुक्त करता है। इन मन्त्रियों का वेतन व्यवस्थापिका सभा द्वारा स्वीकार किया जाता है। किसी एक मन्त्री या सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल पर व्यवस्थापिका सभा द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाने की दशा मे मंत्रि-मण्डल को त्यागपत्र दे देना आवश्यक है। प्रधानमन्त्री इस मन्त्रि-मण्डल का नेता होता है, प्रान्त का सम्पूर्ण शासन उसी के अधीन होता है। प्रान्तों का यह मन्त्रि-मण्डल एक ओर गवर्नरों के सामने उत्तरदायी होता है और दूसरी ओर व्यवस्थापिका सभा के सामने।

नए विधान का व्यावहारिक रूप

सन् १६३७ के चुनाव—कांग्रेस भारतवर्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था है। सन १६३५ के शासन विधान के निर्माण में कांग्रेस ने कोई सहयोग नहीं दिया था। उन दिनों वह सरकार के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध और असहयोग की नीति का अनुसरण कर रही थी। परन्तु सन १६३७ के प्रारम्भ में प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं के जो चुनाव हुए, उनमें देश के अन्य सभी राजनीतिक दलों के साथ कांग्रेस ने भी पूरी दिलचस्पी ली। परिणामत मद्रास, बम्बई, युक्त प्रान्त बिहार, मध्यप्रान्त और उड़ीसा में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत आगया और बगाल, आसाम तथा सीमाप्रान्त में कांग्रेस दल अन्य सम्पूर्ण दलों से अधिक संख्या में निर्वाचित हुआ। पंजाब में युनियनिस्ट पार्टी का पूर्ण बहुमत आया और सिन्ध में कोई दल पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर सका।

काम चलाऊ मन्त्रि मण्डल—प्रथम एप्रिल सन् १६३७ से भारतवर्ष में नए शासन-विधान का प्रारम्भ हुआ। उस से पहले मद्रास, बम्बई, युक्तप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, उड़ीसा, बगाल और आसाम मे प्रान्तों के गवर्नरों ने कॉंग्रेस दलों के नेताओं को अपना-अपना मन्त्रिमण्डल स्थापित करने को निमन्त्रित किया, परन्तु कॉंग्रेस ने मन्त्रिमण्डल स्थापित करने से इन्कार कर दिया। तब लाचार होकर गवर्नरों ने दूसरे दलों के नेताओं को इस कार्य के लिए बुलाया। बगाल में मुस्लिम लीग तथा प्रजापार्टी मिल गई और उनका मन्त्रिमंडल

स्थापित हो गया। आसाम मे मुसलमानो ने हरिजन तथा यूरोपियन ग्रुपों की सहायता से अपना मन्त्रिमण्डल कायम कर लिया। सीमाप्रान्त में मुस्लिम तथा हिन्दू दलों के सहयोग से मन्त्रिमण्डल बन गया। पंजाब मे युनियनिस्टपार्टी का पूर्ण बहुमत था ही। सिन्ध में कतिपय मुस्लिम दलो तथा हिन्दू पार्टी के सहयोग से मन्त्रिमण्डल बन गया। शेप छ प्रान्तो—मद्रास, बम्बई, युक्तप्रान्त, विहार, मध्यप्रान्त और उडीसा मे भी अल्पमतों के कामचलाऊ मन्त्रिमण्डल स्थापित हो गए।

समझौता—परन्तु ये ६ कामचलाऊ मन्त्रिमण्डल स्थायी नहीं रह सकते थे, इससे वृटिश सरकार के प्रतिनिधियो तथा महात्मा गाँधी मे इस विषय पर एक लम्बी बहस और पत्रव्यवहार के बाद कांग्रेस और अंग्रेजी सरकार मे इस आशय का एक तरह का समझौता होगया कि प्रान्तीय गवर्नर मन्त्रिमण्डल के कार्यों में, जहा तक सम्भव होगा, हस्तक्षेप नहीं करेगे। तब कॉंग्रेस ने अपने मन्त्रिमण्डल स्थापित करने का निश्चय कर लिया।

काग्रेस मन्त्रिमण्डल—जुलाई सन् १९३७ मे उपर्युक्त ६ प्रान्तों मे कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल स्थापित हो गए। शेप प्रान्तों में कॉंग्रेस दल विरोधी दल का काम करने लगे। कुछ ही समय के बाद सीमाप्रान्त के तत्कालीन मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया और तब वहाँ भी कांग्रेस ने कतिपय अन्य दलों के सहयोग से अपना मन्त्रिमण्डल

कायम कर लिया। तदनन्तर सिन्ध के मन्त्रिमण्डल को भी इसी तरह त्यागपत्र देना पड़ा। सिन्ध मे जो नया मन्त्रिमण्डल कायम हुआ, उसने कांग्रेस की नीति को स्वीकार करने का वचन दिया। कांग्रेस का सहयोग रुकते ही वह मन्त्रिमण्डल भी टूट गया। अक्तूबर सन १९३८ मे आसाम में भी कतिपय अन्य दलों के सहयोग से कांग्रेस का मन्त्रिमण्डल कायम हो गया। इस तरह भारत के नौ प्रान्तों में कांग्रेस के अथवा उसके सहयोग पर आश्रित मन्त्रिमण्डल बने। शेष दो प्रान्तो, पजाब और बंगाल मे, क्रमश युनियनिस्ट और प्रजापार्टी तथा मुस्लिमलीग के। ये दोनों मन्त्रिमण्डल मुस्लिम लीग के मन्त्रि-मण्डल कहे जाने लगे हैं, क्योंकि इनके मुसलमान सदस्य मुस्लिम लीग के सदस्य बन गए हैं।

कांग्रेस का पुनः त्यागपत्र—वर्तमान महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार से यह माग की कि वह भारतवर्ष को पूर्ण स्वाधीनता दे दे। इसी शर्त पर कांग्रेस वर्तमान महायुद्ध मे पूर्ण सहयोग देना स्वीकार करेगी। अंग्रेजी सरकार ने इस पर सन् १९३५ से भारतीय शासन विधान का सघ सम्बन्धी भाग अनिश्चित कालके लिये स्थगति कर दिया और यह भी घोषणा की कि महा युद्ध के बाद भारतीय प्रतिनिधियों के सहयोग से भारतवर्ष का नया शासन विधान बनाया जायगा। अंग्रेजी सरकार ने भारतवर्ष को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का वायदा भी किया। परन्तु कांग्रेस चाहती थी कि शीघ्र ही

भारतीय वैधानिक समिति (Constituent Assembly) बुलाई जाय और वह समिति चाहे भारतवर्ष का जिस तरह का शासन विधान बनाये। अंग्रेजी सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस पर कॉंग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। आसाम में तो एक अन्य संयुक्त मन्त्रिमण्डल की स्थापना हो गई, परन्तु शेष ७ कांग्रेसी प्रान्तों में शासन विधान के प्रान्तीय विभाग को स्थगित कर सरकारी सलाहकारी समितियाँ बना दी गई हैं और प्रान्तीय गवर्नर उन्हीं की सहायता से उन प्रान्तों का शासन कर रहे हैं।

व्यवस्थापिका सभाएं—निम्नलिखित प्रान्तों में दो व्यवस्थापिका सभाएं हैं—मद्रास, बम्बई, बंगाल, युक्तप्रांत, बिहार और आसाम। इनके नाम हैं—१ लैजिस्लेटिव कौंसिल-ऊपरली सभा और २ लैजिस्लेटिव असेम्बली-निचली सभा। शेष प्रान्तों में लैजिस्लेटिव असेम्बली नाम से एक ही व्यवस्थापिका सभा है। इन सभाओं का निर्वाचन साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। प्रत्येक प्रान्त को सीटों की संख्या के अनुसार, विभिन्न हलकों में बांटा गया है और यह निश्चित कर दिया गया है कि अमुक हलके में मुसल्मान वोटर एक मुसलमान को लैजिस्लेटिव असेम्बली में भेज सकते हैं।

व्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव—सन् १९१९ के शासन विधान में मतदाता बनने के लिए जो कानून थे, उन्हें अब

हुत व्यापक और सुगम बना दिया गया है। परिणाम यह हुआ कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में पुरुष वोटरों की संख्या ७० लाख से करोड ६० लाख हो गई है और स्त्री-वोटरो की संख्या ३ लाख हजार से ५० लाख हो गई है। अर्थात् कुल मिला कर १६१६ अपत्ता १६३५ में वह करीब ४६० प्रतिशत बढ़ाई गई है। १६३७ के प्रारम्भ में प्रान्तीय सभाओ के जो निर्वाचन हुए, में सम्पूर्ण देश ने बहुत दिलचस्पी ली।

कार्य-पद्धति—गवर्नर को यह अधिकार प्राप्त है कि वह चाहे व्यवस्थापिका सभाओं का अधिवेशन बुलाए, और जब हे उन्हे स्थगित या समाप्त कर दे। असेम्बलियों क निर्वाचन मतौर से पाच वर्ष के लिए होते हैं। परन्तु गवर्नर इस अवधि कुछ समय के लिए घटा या बढा भी सकता है। लेजिस्लेटिव न्सिल के एक तिहाई सदस्यो का चुनाव प्रति तीन वर्षों के बाद आ करेगा। कोई भी बिल (बजट को छोडकर) दोनों सभाओं से पहले किसी भी सभा में पेश किया जा सकता है, परन्तु उसे र्नर क पास भेजने से पूर्व उसका दोनों सभाओं में पास होना री है। दोनों सभाओ में मतभेद होने की दशा मे दोनों का म्मिलित अधिवेशन बुलाया जाता है और वहा बहुमत से जो र्णय होता है, वह दोनो सभाओ का निर्णय माना जाता है। र्नर किसी बिल को (क) स्वीकार कर सकता है, या (ख) र्नर जनरल के पास विचारार्थ भेज सकता है अथवा (ग) भाओं को पुनर्विचारार्थ वापस कर सकता है। बजट पास करने

का कार्य लैजिस्लेटिव असेम्बली का है। ऊपर की सभा उस पर विचार कर सकती है, परन्तु उसे स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकती।

प्रान्तीय सभाओं के कार्य—प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएँ निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कानून बना सकती हैं—

१ शान्ति और व्यवस्था की स्थापना
२ स्थानीय सरकार (म्युनिसिपैलिटी आदि)
३ सार्वजनिक स्वास्थ्य ४ शिक्षा
५ सिंचाई ६ खेती और भूमि का लगान
७ इनकम टैक्स (आय कर) को छोड़ कर शेष टैक्स

निम्नलिखित विषयों पर प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं तथा केन्द्रीय फिडरल असेम्बली और कौन्सिल आफ स्टेट को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था—

१ फौजदारी कानून और कार्यवाही २ दीवानी क़ानून
३ कारखाने ४ मजदूर संघ ५ बिजली

इन उपर्युक्त विषयों पर संघ की सभाएँ सम्पूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती थी और प्रान्तों की व्यवस्थापिका सभाएँ अपने प्रान्त के लिए। यदि कहीं इनके सम्बन्ध में संघ के ... के नियमों में विरोध हो जाता, तो संघ का नियम ही माना जाता। हाँ, वायसराय या सम्राट् इस ... को विशेष अनुमति दे सकते हैं।

प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बलियों की सीटें

प्रान्त	जनरल कुल	जनरल हरिजन	पिछड़ी जातियां	सिक्ख	मुसलमान	ऐंग्लो इंडियन	यूरोपियन	देशी ईसाई	व्यापार व्यवसाय	जमींदार	युनिवर्सिटी	मजदूर	स्त्रियां	योग
मद्रास	१४६	३०	१	—	२८	२	३	८	६	६	१	६	८	२१५
बम्बई	११४	१५	१	—	२९	२	३	३	७	२	१	७	६	१७५
बंगाल	७८	३०	—	—	११७	३	११	२	१९	५	२	८	५	२५०
युक्तप्रान्त	१४०	२०	—	—	६४	१	२	२	३	६	१	३	६	२२८
पंजाब	४२	८	—	३१	८४	१	१	२	१	५	१	३	४	१७५
बिहार	८६	१५	७	—	३९	१	२	१	४	४	१	३	४	१५२
मध्यप्रान्त	८४	२०	१	—	१४	१	१	—	२	३	१	२	३	११२
आसाम	४७	७	९	—	३४	—	१	१	११	—	—	४	१	१०८
सीमाप्रान्त	९	—	—	३	३६	—	—	—	—	२	—	—	—	५०
उड़ीसा	४४	६	५	—	४	—	—	१	१	२	—	१	२	६०
सिन्ध	१८	—	—	—	३३	—	२	—	२	२	—	१	२	६०

) बम्बई में जनरल सीटें मराठों के लिये हैं। (ख) पंजाब के ज़मीदारों में से एक तुमान्दार ज़रूर जाना चाहि

) आसाम, उड़ीसा के अतिरिक्त शेष सभी प्रान्तों में स्त्रियों की सीटें साम्प्रदायिक निर्वाचन द्वारा चुनी ज

प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल

प्रान्त	लैजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा	जनरल	मुसल्मान	यूरोपियन	भारतीय ईसाई	गवर्नर द्वारा भरी जाने वाली	योग
मद्रास	—	३५	७	१	३	८ से कम नहीं १० से अधिक नहीं	कम से कम अधिक से अधिक
बम्बई	—	२०	५	१	—	३ कम से नहीं ४ से अधिक नहीं	कम से कम अधिक से अधिक
बंगाल	२७	१०	१७	३	—	६ से कम नहीं ८ से अधिक नहीं	कम से कम अधिक से अधिक
युक्त-प्रान्त	—	३४	१७	१	—	६ से कम नहीं ८ से अधिक नहीं	कम से कम अधिक से अधिक
बिहार	१२	९	४	१	—	३ से कम नहीं ४ से अधिक नहीं	कम से कम अधिक से अधिक
आसाम	—	१०	६	२	—	३ से कम नहीं ४ से अधिक नहीं	कम से कम अधिक से अधिक

न्याय

हाईकोर्ट—सैशन कोर्टों तक का वर्णन नागरिकता के अध्याय में किया जा चुका है। उनके ऊपर प्रत्येक प्रान्त में एक एक हाईकोर्ट है। इनमें कार्य के अनुसार जजों की नियुक्ति की जाती है। इस समय तक कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद लाहौर, पटना, और नागपुर में हाईकोर्ट विद्यमान हैं। हाईकोर्ट का शासन तथा प्रान्त के न्यायालयों का निरीक्षण चीफ जस्टिस के ही अधीन होता है। चीफ जस्टिस अपने प्रान्त के न्याय-विभाग का प्रधान शासक होता है। वह किसी के अधीन नहीं। इन हाईकोर्टों में निचले कोर्टों के निर्णयों के खिलाफ अपीलें भी की जाती हैं।

फिडरल कोर्ट—सन् १६३५ के भारतीय शासन-विधान के अनुसार इस देश में एक फिडरल कोर्ट की स्थापना भी कर दी गई है। इस का शासन एक चीफ जस्टिस के अधीन है। चीफ जस्टिस के अतिरिक्त इस कोर्ट में ६ तक अन्य जज रह सकते हैं। हाईकोर्टों के कतिपय निर्णयों के खिलाफ अपीलें सुनने के अतिरिक्त प्रान्तों के आपस के झगड़ों का निर्णय करना भी इसी कोर्ट का काम है। फिडरल कोर्ट के किसी-किसी निर्णय के खिलाफ इंग्लैंड की प्रिवी कौन्सिल में अपील की जा सकती है।

देशी राज्य

फिडरेशन के अंग—पिछली राउण्ड टेबल कान्फ्रैन्स में जब देशी-राज्यो के महाराजाओं ने भारतीय सघ का सदस्य होना स्वीकार कर लिया, तब इस घटना को भारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण माना गया था। अब देशी रियासतें भारतीय राज्य संघ का आन्तरिक भाग बन गई हैं और भविष्य मे सघ के कानून आदि बनाने मे उनका बहुत महत्वपूर्ण भाग रहा करेगा।

तीन श्रेणिया—भारत के देसी-राज्यो की तीन श्रेणिया हैं। (१) ऐसे दसी-राज्य जिनका सम्बन्ध सीधा वायसराय से है। इनमें से प्रत्येक मे एक रेज़ीडण्ट रहता है। हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा और काश्मीर—ये चार रियासतें इस श्रेणी में आती हैं। (२) वे राज्य जिनका वर्गीकरण अलग-अलग समूहों अथवा 'एजन्सी' में कर दिया गया है और उनका सम्बन्ध अपनी एजन्सी के 'एजण्ट टू दी गवर्नर जनरल' से रहता है। राजपूताना, बलोचिस्तान और मध्यभारत की इन तीन एजन्सियों मे कुल मिलाकर ४६ छोटी-छोटी रियासतें हैं (३) वे रियासतें, जो प्रान्तीय सरकारों के अधीन हैं। इनकी सख्या ५०० के लगभग है।

भारतीय रियासतो के क्षेत्रफल का योग ७,१२,५०८ वर्ग मील है, अर्थात् सम्पूर्ण भारतवर्ष का एक तिहाई भाग। उनकी आबादी ८,१३,१०,८४५ है, अर्थात् भारत की आबादी का एक

चौथाई से भी कम भाग। ये रियासते अपने आन्तरिक मामलो मे काफी अश तक स्वाधीन हैं। इस समय तक अनेक रियासतो मे प्रजातन्त्र शासन के आधार पर व्यवस्थापिका सभाओं का निर्माण हो चुका है।

मुख्य रियासतें—भारतवर्ष की प्रमुख रियासतो का क्षेत्रफल और आबादी इस प्रकार है—

	क्षेत्रफल		आबादी
बडौदा	८,१६४	वर्गमील	२४,४३,००७
ग्वालियर	२६,३६७	,,	३५,२३,०७०
हैदराबाद	८२,६६८	,,	१,४४,३६,१४८
काश्मीर-जम्मू	८४,५१६	,,	३६,४६,२४३
कोचीन	१,४८०	,,	१२,०५,०१६
ट्रावनकोर	७,६२५	,,	५०,६५,६७३
मैसूर	२६,३२६	,,	६५,५७,३०२
पटियाला	५,६३२	,,	१६,२५,५२०
इन्दौर	६,६०२	,,	१३,२५,०००

महिला जगत

(४)

वैदिक स्त्रियाँ—आज से हज़ारो साल पहले भारतवर्ष की नारी वेद का यह मन्त्र गाया करती थी—

'तामद्य गाथा गास्यामि यस्त्राणा उत्तम यश'

—मै आज उस गाथा का गीत गाऊँगी, जिस मे स्त्रियं के सर्वोत्तम यश का वर्णन है।—

भारतवर्ष की स्त्रियो का यह सर्वोत्तम यश क्या था वेद के अपने शब्दों मे घर की महारानी, घर की साम्राज्ञ‌ बन कर रहना ही स्त्री का सब से बडा यश माना जात था। तब घर के मामलों मे पुरुषो का बहुत कम दख़ल था। वे ज कुछ कमा कर लाते थे, सब गृहस्वामिनी के चरणों मे अर्पण क देते थे और वे ही घर के प्रत्येक सदस्य को, उसकी आवश्यकता के अनुसार, यथायोग्य धन, वस्त्र, भोजन आदि दिया करती थीं।

वैदिक काल की स्त्रियों का कार्यक्षेत्र केवल घर तक ही सीमित नहीं था। उन्हें बाक़ायदा शिक्षा दी जाती थी, और वे मनुष्य जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी यथाशक्ति दिलचस्पी लेती थीं। गार्गी नाम की एक महिला ने राजा जनक की सभा के सम्पूर्ण विद्वानों को इस बात का खुला चैलेंज दे दिया था कि ब्रह्मविद्या जैसे कठिन विषय पर कोई उस से शास्त्रार्थ कर ले। उस जमाने में स्त्रियों को काफी स्वतन्त्रता प्राप्त थी। वे अपने जीवन-सगी का चुनाव स्वय किया करती थीं और इस उद्देश्य से स्वयवर करने की प्रथा भी प्रचलित थी।

मध्ययुग में स्त्रियों की दशा—परन्तु उस के बाद इस देश में स्त्रियों की स्थिति नीची होती चली गई। महाभारत में इस बात के प्रमाण हैं कि तब स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा बहुत नीची निगाह से देखा जाने लगा था। उस के बाद क्रमश मध्य-युग में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति और भी अवनत हो गई। मध्ययुग में उन्हें मूर्ख, हठी और निर्बल समझा जाने लगा। स्त्रियों को पुरुष अपनी जायदाद मानने लगे। बहुविवाह की प्रथा और भी भयकर रूप धारण कर गई। धनी पुरुष बहुत-सी स्त्रियों से एक साथ शादी करने लगे और स्त्रियों को किसी तरह की स्वाधीनता नहीं रही। इतना ही नहीं, क्रमश विधवाओं के लिए सती प्रथा जारी कर दी गई। पति के देहान्त के बाद विधवा स्त्रियाँ प्राय पति की चिता में जल कर शरीर त्याग कर देती थीं।

संसार के अन्य देशों में—ससार क प्राय सभी अन्य देशो में प्राचीन समय में स्त्रियो की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा बहुत नीची मानी जाती थी। प्राय उन्हे जायदाद का उत्तराधिकार नहीं मिलता था। आर्थिक दृष्टि से वे पुरुषो पर ही निर्भर करती थी। स्त्री प्राय पुरुष की सम्पत्ति ही समझी जाती थी। उस की स्वतन्त्र सत्ता या स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं था।

नया युग—उन्नीसवीं सदी से यूरोप की स्त्रियो मे यह लहर चली कि स्त्रियो का स्थान केवल घर के अन्दर तक ही सीमित नहीं है, उन्हे इस बात का पूरा अधिकार होना चाहिये कि मनुष्य जीवन के प्रत्येक कार्य में वे सहयोग दे सके। परिणाम यह हुआ कि पश्चिम के सभी देशों मे नारी-जागृति आन्दोलन ज़ोर पकड गया। और अब स्थिति यह आ गई है कि ससार के सभ्य देशों में स्त्रियाँ बहुत से कार्यक्षेत्रो में पुरुषो का मुकाबला कर रही हैं।

आर्थिक पराधीनता—प्राचीन काल मे कहीं भी स्त्रियो को अपनी रोज़ी कमाने की दृष्टि से स्वाधीनता नहीं रही। समाज और परिवार में चाहे उन की कितनी ही प्रतिष्ठा क्यो न रही हो, आर्थिक दृष्टि से वे पुरुष के अधीन ही रही हैं। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री कभी आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र नहीं रह सकती। बचपन में वह पिता द्वारा पाली-पोसी जाती है, युवावस्था में पति उस का भरण-पोषण करता है और बुढापे में वह पुत्र के अधीन रहती है।

स्त्रियों की अवनति का कारण—अनेक विचारकों की राय है कि स्त्री की आर्थिक पराधीनता के कारण ही धीरे-धीरे पुरुष ने उसे अपना गुलाम बना लिया। एक व्यक्ति जब सभी तरह के कष्ट झेल कर अपनी कमाई से किसी दूसरे व्यक्ति को पालता है, तब स्वभावत उस की इच्छा होती है कि पाला जाने वाला व्यक्ति उस की इज्जत करे, उस की आज्ञा में रहे। जिस व्यक्ति को पाला जा रहा होता है, उस के जी में भी, अज्ञात रूप से यह भावना स्वयं उत्पन्न हो जाती है कि जो व्यक्ति अपनी कमाई से उस का पालन कर रहा है, वह उस से अधिक श्रेष्ठ है, उस की अपेक्षा बड़ा है। स्त्री और पुरुष में चाहे परस्पर शुरू-शुरू में कितनी ही मित्रता और कितने ही स्नेह का सम्बन्ध क्यों न रहा हो, परन्तु स्त्री अपने गुजारे के लिये पुरुष पर आश्रित तो थी ही। धीरे-धीरे स्वभावत इस परिस्थिति का प्रभाव यह हुआ कि पुरुष अपने को स्त्री की अपेक्षा बहुत बड़ा समझने लग गया और स्त्री ने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी पराजय स्वीकार कर ली और वह अपने को पुरुष की अपेक्षा छोटा और उस के सन्मुख अपने को असमर्थ समझने लगी।

आर्थिक स्वाधीनता के लिए प्रयत्न—इस नए युग में पश्चिम की स्त्री यह समझ गई है कि उसकी पराधीनता और हीनता का असली कारण यह है कि वह आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर निर्भर करती है। इस कारण आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना उसने अपना प्रथम ध्येय बनाया। पहले-पहल

पढी-लिखी स्त्रिया स्कूलो मे पढाने आदि का कार्य करने लगीं। उसके बाद नर्सिंग का काम भी स्त्रियो ने सभाल लिया। आज यूरोप-भर मे निम्नलिखित कार्यों के सम्बन्ध मे यह समझा जाने लगा है कि ये काम पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक अच्छा कर सकती है—नर्सिंग (रोगियों की सेवा-सुश्रूषा), टाइप करना, सामान वेचने का काम करना, टिकटें वेचना, छोटे बच्चो को पढाना और पालना आदि।

राजनीतिक समानाधिकार के लिए प्रयत्न—पुराने ज़माने मे ससार-भर के किसी भी देश में स्त्रियाँ राजनीतिक कार्यो मे भाग नहीं लेती थीं। यह क्षेत्र उनकी पहुच के बाहर समझा जाता था। ससार के प्राचीन इतिहास मे अनेक देशों में कभी-कभी महारानियों का शासन जरूर रहा है, परन्तु वे अपवाद-स्वरूप होती थीं। हिन्दोस्तान में गुलामवश की रज़िया बेगम के खिलाफ मुख्यत इसी कारण विद्रोह हो गया था कि वह स्त्री थी। जिन थोडी-बहुत रानियो ने प्रचीन काल मे शासन किया, उसे, पुरुषों का राज-वश कायम रखने की भावना से ही पुरुष-जाति ने सहन किया था। परन्तु आज के ससार मे स्त्री और पुरुष के समानाधिकार की लहर इतनी जोर के साथ उठी है कि ससार के प्राय सभी सभ्य देशो में स्त्रियो को वोट देने का अधिकार मिल गया है और सभी सभ्य देशो की राजसभाओं मे स्त्रियाँ भी सदस्य चुनी जाती हैं। उन्हे मन्त्रि-मण्डल में भी लिया जाने लगा है।

भारतवर्ष में स्त्रियों की सख्या—इस देश मे स्त्री की अपेक्षा पुरुष का मान बहुत अधिक बढ गया था। लडकी को माँ बाप पर एक तरह का बोझ समझा जाने लगा था। इसका एक प्रभाव यह भी हुआ है कि भारतवर्ष में स्त्रियो की सख्या पुरुषों की अपेक्षा करीब एक करोड कम है। इस देश की कुल जन-सख्या (बर्मा को मिलाकर) ३५, २६, ८६, ८७६ है। इनमे से १७, १०, ६४, ६६७ स्त्रियाँ हैं और १८, १६, २१, ६६७ पुरुष हैं।

स्त्रियों की वर्तमान स्थिति—भारतीय स्त्रियाँ अब भी काफी पिछडी हुई दशा मे हैं। यद्यपि सती-प्रथा यहाँ बहुत समय से कानून-द्वारा बन्द कर दी जा चुकी है और विधवा-विवाह जारी हो गए हैं, तथापि अनेक दृष्टियों से भारतीय स्त्रिया ससार की स्त्रियो से पिछडी हुई दशा मे हैं। यहाँ अभी तक शिक्षा का प्रसार बहुत कम हुआ है। स्त्रियों पर अभी पुरुष का अधिकार माना जाता है। विवाह आदि मे स्त्रियों को किसी तरह की स्वाधीनता नहीं दी जाती। साधारण भारतीय घरो मे अभी तक माँ बाप लडकी की शिक्षा और पालन-पोषण पर उतना ध्यान नहीं देते, जितना वे अपने लडकों पर देत हैं।

जागृति की लहर—फिर भी यह कहा जा सकता है कि भारत की स्त्रियो में जागृति की लहर चल पडी है। वे अपने अधिकार समझने लगी हैं। आर्यसामज, ब्रह्मसमाज

धार्मिक तथा कांग्रेस आदि राजनीतिक संस्थाओं ने इस नारी-जागृति-आन्दोलन को बड़ी सहायता पहुँचाई है। भारतवर्ष में भी अब अखिल-भारतीय महिलासंघ की स्थापना हो चुकी है और उसकी शाखाएँ देश के कोने-कोने मे खुलती जा रही हैं।

शिक्षा—लडकियों मे शिक्षा का प्रचार बडे ज़ोरो से बढ रहा है। शहरों मे रहने वाले मध्यस्थिति के लोग अपनी लडकियो को शिक्षा देना आवश्यक समझने लगे हैं। विवाह के लिए भी पढी-लिखी लड़कियो को अधिक पसन्द किया जाने लगा है, क्योकि वे अधिक अच्छी जीवन संगिनी बन सकती हैं। इससे शिक्षा के आन्दोलन को और भी अधिक सहयता मिली है। सन् १९३६ में स्त्रियो के स्कूलों, कालेजो मे लगभग ३० लाख लडकिया पढ रही थीं --

	संस्थाओं की संख्या	लड़कियाँ
प्राइमरी स्कूल	३२,६१८	२५,०५,०००
गैर-सरकारी स्कूल	४,०६६	१४०,०००
स्पेशल स्कूल	३६१	२२,०००
मिडल स्कूल	६७३	२,१५,०००
हाई स्कूल	४१३	१,२४,०००
आर्ट्स कालेज	२८	५,३३०
व्यावसायिक कालेज	६	६१७

सन् १९४० तक यह संख्या और भी अधिक बढ़ गई है। इनके अतिरिक्त लाखों की संख्या में लडकियाँ अपने घरों मे

माँ-बाप या भाई-बहनों से पढ़ा करती हैं। अनेक स्थानों पर सहशिक्षा भी शुरू हो गई है। इस तरह स्त्री-शिक्षा का प्रचार बड़े वेग से हो रहा है।

वोट देने का अधिकार—भारतीय स्त्रियों को वोट देने के अधिकार का प्रारम्भ सन् १९१९ के सुधारों से हुआ था। तब प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं को इस बात की स्वाधीनता दी गई थी कि यदि वे चाहें तो अपने-अपने प्रान्त में स्त्रियों को वोट का अधिकार दे दें। फलत अँगरेज़ी भारत के सभी प्रान्तों तथा ४ देसी रियासतों में भी उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया है।

मौण्ट-फोर्ड सुधारों के अनुसार स्त्री वोटरों की संख्या ३,१५,००० थी। सन् १९३५ के शासन-विधान के अनुसार वह संख्या बढ़ाकर ५० लाख कर दी गई है। अर्थात उसे करीब १६ गुना कर दिया गया है।

स्त्री-सदस्याएँ—भारतवर्ष की म्युनिसिपैलिटियों तथा कारपोरेशनों में स्त्रियाँ पहले भी चुनी जाती थीं, यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम होती थी। पिछले सुधारों के कार्यकाल में कतिपय स्त्रियाँ प्रान्तीय कौन्सिलों में भी पहुचीं। मद्रास, युक्त-प्रान्त, मध्यप्रांत, पंजाब, बम्बई आदि की व्यवस्थापिका सभाओं में स्त्री-सदस्याएँ भी रहीं। परन्तु नए सुधारों के अनुसार तो प्रत्येक प्रान्त में स्त्रियों के लिए कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई हैं। भारत की स्त्रियाँ अपने निर्वाचन के लिए साम्प्रदायिक

सख्या बहुत काफ़ी है। एक हज़ार से ऊपर लड़किया विभिन्न मैडिकल कालेजों में बाकायदा चिकित्सा की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। अन्य उद्योग धन्धो में भी स्त्रियो की काफी बडी सख्या काम कर रही है। भारतीय ग्रामो में स्त्रियाँ प्राय कुछ-न-कुछ उत्पादक कार्य पहले ही से किया करती हैं। वे अपने पतियों के कार्य में सदा से सहायता देती आई हैं। किसान स्त्रियाँ पहले के समान अब भी खेतो मे निलाई, रखवाली आदि का काम कर रही हैं। जुलाहों की स्त्रियाँ बुनने के काम में अपने पतियो की सहायता करती हैं, इसी तरह अन्य स्त्रिया भी कुछ-न-कुछ उत्पादक कार्य किया करती हैं। इनके अतिरिक्त आज-कल करीब २, ३४, ००० स्त्रिया भारतवर्ष के विभिन्न कल-कारखानो में बाकायदा मेहनत-मजदूरी करके आजीविका उपार्जन कर रही हैं।

अन्य पेशे—धीरे-धीरे शिक्षित स्त्रिया जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे पदार्पण करती जा रही हैं। स्त्रिया वकील और बैरिस्टर बन कर कानून की प्रैक्टिस भी करने लगी हैं। कुछ महिलाएँ मजिस्ट्रेट के पद पर भी नियुक्त हो गई हैं। स्कूलों और कालेजों में बहुत-सी अध्यापिका स्त्रियाँ शिक्षा का काम कर रही हैं। व्यापार-व्यवसाय में भी, दूकानों पर जाकर माल बेचने के रूप में, अनेक भारतीय स्त्रियों ने प्रवेश किया है।

सामाजिक स्थिति—स्त्रियों की इस सर्वतोमुखी जागृति का एक परिणाम यह हुआ है कि समाज मे उनकी प्रतिष्ठा

पहले की अपेक्षा बहुत बढ गई है। अब बहुविवाह को बु
बुरा माना जाने लगा है और इस देश के राजा-महाराजा
के अतिरिक्त अन्य लोगो मे बहुविवाह की प्रथा बहुत क
हो गई है। स्त्रियो को शिक्षा भी दी जाने लगी है और उ
सामाजिक कार्यो मे भाग लेने की स्वाधीनता भी दी
रही है। परिणाम यह हुआ है कि अनेक स्त्रियाँ भारतव
के सामाजिक और राजनीतिक जीवन मे बहुत आगे बढ गई हैं
श्रीमती सरोजिनी नायडू कांग्रेस की सभापति तक बन चुकी हैं
श्रीमती बगम शाहनवाज,श्रीमती डा० रेडी और श्रीमती सरोजिन
नायडू भारतवर्ष की महिलाओं के प्रतिनिधि-रूप से लण्डन क
राउण्ड-टेबल कान्फ्रेन्स मे भी शामिल हुई थीं। इनके अतिरिक्
अन्य भी अनेक स्त्रियाँ सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ा भाग
रही हैं। श्रीमती कमला चट्टोपाध्याय इस देश में साम्यवाद
आन्दोलन क प्रमुख सचालको मे से हैं। लेजिस्लेटिव असेम्बलिय
के पिछले निर्वाचनों मे भारतवर्ष की शिक्षिता स्त्रियों ने खू
दिलचस्पी ली।

स्त्री-सहायक-संस्थाए —दुखिया स्त्रियों को सहायत
देन के लिए जगह-जगह अनेक सस्थाओ की स्थापना की गई है
मे सैकडो महिला-आश्रम तथा विधवा-आश्रम इस समय तक
हो चुक हैं। विधवा-विवाह के लिए सगठित रूप से प्रयत्न
. ना जा रहा है। इस सम्बन्ध में बगाल के स्वर्गीय ईश्वरचन्द्र
विद्यासागर और पंजाब के स्वर्गीय सर गगाराम का प्रयत्न विशेष-

रूप से प्रशंसनीय है।

भारतीय परिस्थितियाँ—संसार का महिला-जागृति-आन्दोलन जिस ढंग पर चल रहा है, उसका प्रभाव भारतवर्ष पर पड़ना स्वाभाविक ही था। परन्तु यह एक तथ्य है कि इस देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करने की दृष्टि से भारतवर्ष का महिला जागृति आन्दोलन विदेशी महिला-आन्दोलनों का पूर्ण अनुकरण नहीं कर सकता। वह अपने ही ढंग से विकसित होगा। कम-से-कम उसे अपने ही ढंग से विकसित करने का प्रयत्न अवश्य होना चाहिए।

विदेशों की स्थिति—पश्चिम के देशों में स्त्रियाँ प्रत्येक दृष्टि से पुरुषों का मुक़ाबला करने का प्रयत्न कर रही हैं। केवल दिमाग़ी कामों में ही नहीं, अपितु शारीरिक कार्यों में भी वह पुरुषों की प्रतियोगिता कर रही है। स्त्रियाँ आज हवाई-जहाज़ चला रही हैं, इस दिशा में श्रीमती एमी मौलीसन का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। जिन स्त्रियों को किसी ज़माने में अबला समझा जाता था, उन्होंने इंग्लिश च्यानेल को तैर कर पार कर लिया है। अन्य भी अनेक दुस्सह कार्य पश्चिम की स्त्रियों ने किये हैं। वहाँ और भारत में भी स्त्रियाँ अब हाकी और फुटबाल खेलने लगी हैं और टैनिस में तो वह पुरुषों का बखूबी मुक़ाबला कर लेती हैं। अमेरिका में स्त्री-डकैतों का भी जन्म हो गया है। गुप्तचरी तथा षड्यन्त्र रचने के कार्य में सुप्रसिद्ध षड्यन्त्र-कारिणी माताहारी का मुक़ाबला कोई पुरुष भी शायद ही कर सके। मनुष्य-जीवन

कोई भी ऐसा पहलू बाकी नहीं रहा, जिस में पश्चिम की
यॉ पुरुषो का मुकाबला करने को प्रयत्न न कर रही हो।

दुष्परिणाम—स्त्री और पुरुष मे परस्पर प्रतिद्विन्द्विता हो
ने से जहॉ महिला-सुधार-आन्दोलन को बडी सहायता मिली
वहा उससे दुष्परिणाम भी कम नहीं निकले। यह एक तथ्य
कि पश्चिम की बहुत-सी अधिक पढीलिखी लडकियॉ अब विवाह
घृणा करने लगी हैं। वहॉ पुरुष और स्त्री को परस्पर एक
सरे पर उतना विश्वास बाकी नहीं रहा, इससे वहॉ का पारिवारिक
जीवन यथेष्ठ सुखी और शान्त नहीं रहा। तलाको की सख्या
बहुत बढ गई है। पति-पत्नियों के पारस्परिक मुकद्दमों की सख्या
भी बहुत बढ गई है। वहॉ की स्त्रियॉ सन्तान-पालन को अब
अपना भूषण नहीं समझतीं। इन बातों से पारिवारिक जीवन को
शान्ति और व्यवस्था मे भारी व्याघात पहुँचा है और विवाह की
संस्था भी शिथिल पडती जा रही है।

इस प्रतिद्वन्द्विता का एक परिणाम बेकारी बढ जाने के
रूप मे भी हुआ है। स्त्रियॉ भी अब उद्योग-धन्धों मे सम्मिलित
होने लगी हैं, इससे पुरुषो की बेकारी की समस्या और भी
अधिक पेचीदा हो गई है। इसी कारण से जर्मनी आदि देशों में
इस बात का गम्भीर प्रयत्न किया गया है कि स्त्रियॉ घरेलू मामलों
और पारिवारिक जीवन में ही अधिक दिलचस्पी लें। वहॉं
विवाहों की संख्या बढाने की कोशिश भी जारी है। जर्मनी के
वर्तमान डिक्टेटर हर हिटलर ने एक साथ हजारों स्त्री-

विवाह अपने सामने करवाए हैं।

भारतीय आदर्श—इसमे सन्देह नहीं कि भारतवर्ष मे अब तक स्त्रियो की जो स्थिति रही है, वह बहुत ही अवाछनीय और अवनत थी। इसमें भी सन्देह नहीं कि प्राचीन काल से भारत की स्त्रिया सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन मे भाग लेती रही हैं। वीरता की दृष्टि से महारानी लक्ष्मीबाई के समान वीर और साहसी व्यक्ति ससार के सम्पूर्ण इतिहास में बहुत कम मिलेंगे। परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि भारतवर्ष के सम्पूर्ण इतिहास मे स्त्री का वास्तविक स्थान घर के अन्दर ही माना जाता रहा है। जिस स्त्री में पुरुष के कुछ गुण असाधारण तौर पर विकसित हो जायँ, उस के सामाजिक जीवन में भाग लेने और उसके गुणों से देश को लाभ पहुचाने में भारतीय आदर्श रुकावट नहीं डालते। ऐसी स्त्रियो को वे पूरी स्वाधीनता देते हैं और उन्हें आदर तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि भारतीय आदर्शों के अनुसार, सर्वसाधारण स्त्रियों की महत्वाकाक्षा घर की सम्राज्ञी बन कर रहना ही है। समाज की शान्ति और व्यवस्था के लिए पुरुष और स्त्री ने अपनी शारीरिक रचना और प्राकृतिक भेदो को ध्यान में रख कर, परस्पर यह कार्य विभाग कर लिया है कि पुरुष तो दुनिया के कठोर काम-काज करे, कमा कर लाए और स्त्री घर की व्यवस्था रक्खे और अपने स्वाभाविक प्रेम और माधुर्य से पुरुष के जीवन को सुखपूर्ण और प्रसन्नतामय बना दे। भारतीय आदर्श स्त्री और पुरुष को

एक दूसरे का प्रतिद्वन्द्वी नहीं मानते। वे उन्हें एक दूसरे का 'पूरक' मानते हैं। स्त्री में जो गुण हैं, वे पुरुष में कम हैं और पुरुष मे जो शक्तियाँ हैं, वे स्त्री में कम हैं। भारतीय आदर्शों के अनुसार स्त्री और पुरुष को अपने अपने विशेष गुणों का इतना विकास करना चाहिये, जिससे दोनों मिल कर एक दूसरे के सहयोग से मनुष्य-समाज के लिये अधिकतम उपयोगी बन सकें।

यह ठीक है कि स्त्रियों से किसी तरह के आदर्शों पर चलने की आशा करते हुए पुरुषों को अपना जीवन भी उन आदर्शों के अनुकूल बनाना चाहिये। विज्ञान और स्वाधीनता के इस युग में यह असम्भव है कि पुरुष स्वय तो निरकुशता का जीवन व्यतीत करना चाहे और स्त्री से आदर्श बन कर रहने की आशा करे।

---

(५)

विज्ञान और साहित्य

विज्ञान

प्राचीन यूनानी इतिवृत्त (माइथौलोजी) की एक कथा है कि बहुत पुराने ज़माने में डाइडेलस नाम का एक बड़ा भारी वैज्ञानिक हुआ था। यह डाइडेलस इतना अक्लमन्द था कि परमात्मा की बड़ी-बड़ी ताकतों को वह अपने सामने कुछ भी न समझता था। जिस तरह हमारे देश में रावण के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि अग्नि, वायु, जल आदि परमात्मा के देवता उसकी सेवा किया करते थ, उसी तरह डाइडेलस भी प्रकृति की शक्तियों पर शासन किया करता था। इस डाइडेलस ने एक हवाई जहाज़ बनाया हुआ था और उस पर सवार होकर वह संसार-भर की सैर किया करता था।

संसार-भर पर डाइडेलस का रोब स्थापित हो गया। दुनिया के लोगों के लिए यह अचरज की बात थी कि डाइडेलस

का जहाज उडता किस तरह है और वह किसी को अपनी मशीन का भेद बताने को तैयार नहीं था।

एक दिन डाइडेलस की अनुपस्थिति मे उसके पुत्र आइकेरस के जी मे यह इच्छा पैदा हुई कि वह भी अपने पिता के हवाई जहाज़ की सैर करे। चुपके से वह उस जगह गया, जहाँ वह जहाज़ रक्खा हुआ था। आइकेरस इस जहाज़ में बैठ गया और उसने बटन दबा दिया। जहाज एकदम से आस्मान में उड गया। दूर से डाइडेलस ने देखा कि उसका जहाज़ आस्मान में उडा जा रहा है। उसकी हैरानी और क्रोध का ठिकाना न रहा। वह तेज़ी से भाग कर घर पहुचा तो देखा कि उसका पुत्र ही हवाई जहाज उडा कर ले गया है। अब डाइडेलस के हृदय में क्रोध का स्थान चिन्ता ने ले लिया।

बात यह थी कि डाइडेलस अपने पुत्र को बहुत चाहता था, और यह ध्यान करके उसे बडा भय प्रतीत हुआ कि आइकेरस को जहाज़ नीचे उतार ने का ढग मालूम नहीं है। डाइडेलस को मालूम ही था कि उसके जहाज को उडाना जितना आसान है, उसे वापस लाना उतना ही कठिन है। निराश-भाव से पिता आस्मान की ओर देखता रह कर पुत्र की चिन्ता करने लगा। मगर उसकी चिन्ता कोई फल नहीं लाई। आइकेरस उडता चला गया। वह ऊपर-ऊपर उडता चला गया और अन्त में किसी सितारे से टकराकर उसका जहाज़ चकनाचूर हो गया और तब आइकेरस की हड्डी-पसली का भी पता न चला।

विज्ञान का प्रभाव—यूनानी इतिवृत्त की कहानी बडी अर्थपूर्ण है। विशेषकर आजकल के ज़माने में, जब विज्ञान दिन-ब-दिन उन्नति कर रहा है, यह कहानी और भी अधिक अर्थपूर्ण हो उठी है। आज का मनुष्य सच्चे आर्थों में डाइडेलस बन गया है। उसने प्रकृति की सम्पूर्ण शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है। प्राचीन युग में मनुष्य के मस्तिष्क ने जिन सुखों की कल्पना-मात्र ही की थी, वे सब आज विज्ञान की सहायता से उपलब्ध किए जा सकते हैं। रोज नए-नए आविष्कार पुरुष का मस्तिष्क कर रहा है। और इन आविष्कारों से मनुष्य की शक्ति सैकड़ों-हजारों गुना बढ गई है।

भय के कारण—परन्तु भय इस बात का है कि आईकेरस की तरह आज का मनुष्य इन महान वैज्ञानिक आविष्कारों से कहीं स्वय ही अपनी समाप्ति न कर ले। विज्ञान की शक्ति निस्सन्देह बहुत बडी है, परन्तु यह शक्ति जहा मनुष्य के जीवन को बहुत सुखी बना सकती हैं, वहा यह उसे इसी अनुपात मे कष्ट भी पहुचा सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण जहा एक मनुष्य हवाई जहाज पर बैठकर २४ घण्टों के भीतर ही इग्लैण्ड से हिन्दोस्तान पहुच सकता है, (यह रिकार्ड करीब २२ घण्टे का है) वहाँ इन्हीं आविष्कारों की सहायता से आज हज़ारो लाखों मनुष्यो की हत्या भी की जा सकती है। अब विषैले गैसों के जो बम बन गए हैं, उनकी सहायता से एक हवाई जहाज १५ मिनट के अन्दर

लाहौर शहर में बसने वाले ५ लाख मनुष्यों की हत्या कर सकता है। जहा मनुष्य को अपनी कृतियों पर अभिमान होना चाहिये, वहा उसमें यह समझ भी होनी चाहिए कि कहीं वह अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ा न मार बैठे। ससार के विचारको को इस बात का भय प्रतीत होने लगा है कि कहीं किसी महायुद्ध में वर्तमान सभ्यता अपनी मौत आप ही न मर जाय। मानव-समाज के नेताओं का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी परिस्थितियों को न आने दे।

कुछ पुराने अविष्कार—बिजली, भाप आदि की शक्तिया आज के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन गई हैं। हम लोगों के लिए एक भी दिन इन शक्तियो को सहायता के बिना काटना कठिन हो गया है। आज घर-घर में बिजली है। रेल, तार, मोटर, मशीन आदि का उपयोग आज सारी दुनिया के बहुत ही पिछड़े हुए भागों में भी होता है। भाप की रेलगाडी की अपेक्षा बिजली की रेलगाडिया अधिक तेज चलती हैं, इस से ससार के अनेक भागों में बिजली की रेलें चलने लगी हैं। इस देश में भी कुछ स्थानों पर बिजली की रेलगाडियो का प्रचार हो गया है। बड़े-बड़े शहरों में बिजली की ट्रामगाडिया भी चलती हैं। भारत वर्ष के पहाड़ों में झरनों और नदियों की कमी नहीं है, उन्हें बाँध कर अनेक जगह उनके प्रपात बनाए गए हैं, और उनसे बिजली निकाली गई है। पजाब में भी योगेन्द्रनगर में इस तरह का प्लाण्ट

लगाया गया है और उससे इस प्रान्त के अनेक जिलो के कस्बो-कस्बो तक बिजली पहुँचाई जा रही है। यहा इन प्राचीन हो गए आविष्कारो क सम्बन्ध मे कुछ न कह कर, हम कतिपय नवीन आविष्कारों का वर्णन करेंगे—

टैलीवीयन

टैलीवीयन की कल्पना—टैलीफोन के आविष्कार के बाद लोग यो ही मज़ा लेने क लिए कल्पना किया करते थे कि कितना अच्छा होता, यदि हम टैलीफोन से बातचीत करने के साथ-साथ दूर की किसी घटना का फ़ोटो भी ले सकते। वह कल्पना आज सच्ची हो गई है और टैलीवीयन के द्वारा एक घटना का फ़ोटो हज़ारो मील की दूरी पर भेज सकना सम्भव हो गया है। पिछले वर्षों में इस सम्बन्ध में जो परीक्षण हुए हैं, वे काफी सफल हुए हैं और आस्ट्रेलिया से अनेक चित्र टैलीवीयन द्वारा इंग्लैण्ड भेजे गए हैं। इन दोनों देशों में लगभग १३००० मील का अन्तर है। अर्थात् एक देश पृथ्वी के इस छोर पर है, तो दूसरा उस छोर पर।

टैलीवीयन का आविष्कार कैसे हुआ—बीसवीं सदी के शुरू में निपको नाम के एक जर्मन वैज्ञानिक ने एक पुर्ज़ा बनाया था, जो आजकल टैलीवीयन में काम में लाया जाता है। परन्तु अकेला पुर्ज़ा मतलब पूरा न कर सकता था। युद्ध से पूर्व लो नाम के एक अँगरेज वैज्ञानिक ने टैलीवीयन के सिद्धान्त की सम्भा-

बना परीक्षा के रूप में दिखाई थी। परन्तु वास्तव में टैलीवीयन कोई एक आविष्कार नहीं, वह करीब पचास विभिन्न आविष्कारों के आधार पर बन पाया है।

टैलीवीयन इस सिद्धान्त पर बना है—किसी दृश्य के छाया और प्रकाश को बिजली के विभिन्न दर्जों मे परिणत कर लिया जाता है और तार द्वारा अथवा बेतार की तार से वायु-मण्डल मे फैला दिया जाता है बिजली के इन विभिन्न दर्जों को रिसीवर द्वारा पकडा जाता है और तब फोटो के सिद्धान्तों पर उसका नैगेटिव तैयार कर लिया जा सकता है। फ़ोटोग्राफ़ी में कुछ मसाले ऐसे इस्तेमाल किये जाते हैं, जिन पर प्रकाश और छाया की छाप साफतौर से पड सकती है। इन मसालों पर किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब डाल कर, उन्हे कतिपय अन्य मसालों द्वारा पका कर लिया जाता है और तब उससे फ़ोटो का नैगेटिव तैयार हो जाता है। टैलीवीयन मे प्रकाश और छाया के चित्रों को बिजली और बेतार के तार की मदद से ससार के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजा जा सकता है। इसी सिद्धान्त के आधार पर टैलीवीयन तैयार किया गया है।

अभी प्रारम्भिक दशा में—टैलीवीयन अभी प्रारम्भिक दशा में है। इस समय तक उसके द्वारा जो चित्र लिये जाते हैं, वे कैमरे के अच्छे चित्रों के समान स्पष्ट नहीं होते। यद्यपि उसके द्वारा चित्रित वस्तु का ठीक ठीक अन्दाज़ा अवश्य लिया जा सकता है। परन्तु उम्मीद है कि शीघ्र ही टैलीवीयन इतनी

उन्नति कर जायगा कि उसके द्वारा न केवल ससार-भर की घटनाओं के अच्छे-अच्छे फोटो अनायास ही, उसी क्षण लिए जा सकेंगे, अपितु आशा की जाती है कि एक दिन, उसकी मदद से लहौर में बैठा हुआ एक व्यक्ति इग्लैण्ड की पार्लियामैण्ट के दृश्य को उतनी ही अच्छी तरह देख सकेगा, जिस तरह आज वह रेडियो की मदद से वहाँ पर दिए जा रहे भाषणों को, यदि वे ब्रौडकास्ट किए जा रहे हों तो, सुन सकता है।

रेडियो

रेडियो का प्रचार—वर्तमान ससार में रेडियो ज्ञान-विस्तार का एक बहुत ही श्रेष्ठ साधन माना जाने लगा है और इसी कारण उसकी महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है। अमेरिका में प्राय प्रत्येक घर मे रेडियो लगा हुआ है। वहाँ क़रीब १३ करोड़ रेडियो इस्तेमाल में लाये जाते हैं। ससार के अन्य देशों म भी रेडियो बहुत लोक-प्रिय हो रहा है। भारतवर्ष में रेडियो को प्रचलित करने का प्रयत्न कुछ ही समय से शुरू हुआ है और भारत-सरकार इस कार्य के लिए काफी धन व्यय कर रही है। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, लाहौर, लखनऊ आदि में अनेक शक्तिशाली ब्रौडकास्टिंग स्टेशन बनाये गए हैं।

रेडियो के सिद्धान्त—आकाश में ईथर नाम का जो म य है, वह भी एक बहुत ही श्रेष्ठ माध्यम (मीडियम) का काम देता है। हम ईथर को 'प्रचीन भारतीय दार्शनिक 'आकाश'

करते थे और उसे भी वे एक तत्व मानते थे। सामान्य ढग से हम लोग जो आवाज सुनते हैं, वह वायुमण्डल की लहरों के कम्पनों द्वारा हमारे कानों मे पहुँचती है, अर्थात् आवाज को हमारे कानों तक पहुँचाने के लिए वायु माध्यम (मीडियम) का काम करती है। नवीन वैज्ञानिकों ने जब ईथर की खोज की और यह जान लिया कि वह भी एक बहुत श्रेष्ठ वाहक और माध्यम है, तो इस बात के प्रयत्न शुरू किये कि शब्द आदि को उसी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। इसी आधार पर रेडियो का आविष्कार हुआ। ब्रौडकास्टिंग स्टेशन पर एक गायक एक गीत गाता है। यह गीत एक ऐसे यन्त्र के सन्मुख गाया जाता है, जो यन्त्र शब्द की लहरों को बिजली की सहायता से ऐसे कम्पनों के रूप में परिवर्तित कर देता है, जो ईथर पर प्रभाव करते हैं और परिणामत ये कम्पन सम्पूर्ण आकाश-मण्डल मे व्याप्त हो जाते हैं। जितना शक्तिशाली ब्रौडकास्टिंग स्टेशन होता है, उतना ही अधिक दूरी तक ये कम्पन प्रभाव उत्पन्न करते हैं। रेडियो के रिसीवरों मे, बिजली की सहायता से यह शक्ति होती है कि वे ईथर द्वारा प्रसारित किये जा रहे उन कम्पनों को पकड सके और उसके द्वारा वायु मे ध्वनि के कम्पन पैदा कर सकें और तब उसे सुना जा सकता है।

रेडियो की महत्ता—ससार की वर्तमान राजनीति, व्यापार, शिक्षा आदि में नवीनतम प्रगतियों और समाचारों से

से परिचित रहने की बड़ी महत्ता है। किसी जमाने मे ससार म एक देश का समाचार पाच चार हजार मील की दूरी पर पहुचाना लगभग असम्भव बात थी। विदेशों के बडे बडे समाचार महीनों के बाद काफी बिगडे हुए रूप में सुनने मे आया करते थे। उसके बाद सगठित डाक व्यवस्था ने उस दशा मे परिवर्तन कर दिया। जब तार का आविष्कार हुआ तो समाचार जानना बहुत सुगम हो गया। परन्तु तार मे भी अनेक झझट थे। तारो का जाल बिछाना और उस पर भी सकेतों से बातचीत समझना। यह सब झझट ही तो था। अब रेडियो के आविष्कार से एक समाचार उसी समय ससार-भर में करीब करीब एक साथ ही सुन लिया जा सकता है। व्यापारिक समाचार और राजनीतिक घटनाएँ आदि रेडियो की सहायता से उसी समय जान ली जा सकती हैं। इनके अतिरिक्त एक अच्छे सगीतज्ञ अथवा अच्छे व्याख्याता की शक्तियो से अब मानव-जाति का बहुत बडा भाग अनायास ही लाभ उठा सकता है। रेडियो प्रचार का बहुत श्रेष्ठ साधन है और यही कारण है कि सभी देशों की सरकार इस पर कुछ-न-कुछ प्रतिबन्ध जरूर लगाती है।

रेडियो के नए-नए परीक्षण—हाल ही में रेडियो की सहायता से सगीत मे कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। थरमीन, ट्रेमोनियम आदि कतिपय ऐसे यन्त्र ईजाद किए जा रहे हैं जो बिलकुल नए ढंग से ब्रॉडकास्टिंग स्टेशनों पर बजेंगे

और उनकी आवाज रेडिओ द्वारा बहुत ही चित्ताकर्षक प्रतीत हुआ करेगी और यदि कभी रेडियो और टैलीवीयन दोनों ही आविष्कार अपनी पूर्णता को पहुँच गए, तब तो दूरी का भेद कुछ प्रतीत ही न हुआ करेगा।

बोलते फ़िल्म

बोलते फिल्मों का प्रचार—वर्तमान विज्ञान का कोई अन्य आविष्कार सम्भवत. इतना लोकप्रिय सिद्ध न हुआ होगा, जितना बोलते फिल्मो का आविष्कार हुआ है। सन् १६२६ में पहले-पहल बोलती फिल्में सफलता-पूर्वक तैयार हो सकी थीं। तब से लेकर अब तक, केवल १४ वर्षों में ही, इन बोलती फ़िल्मों ने न केवल चुप फ़िल्मो को समाप्त कर दिया है, अपितु नाटको की भी इतिश्री कर दी है। संसार-भर के देशों में सिनेमा अब बहुत ही लोकप्रिय वस्तु बन गई है और आए दिन बीसियों नए नए चित्र बनते रहते हैं। बोलते फ़िल्मों की इतनी माँग है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले नट और नटियाँ को आज संसार भर मे सब से अधिक वेतन मिलता है। अमेरिका की कतिपय लोकप्रिय नटियो को ५,००० रुपया दैनिक तक वेतन मिलता है।

फिल्मों का सिद्धान्त—फ़िल्म उसी चीज़ से बनती है, जिससे फोटो उतारे जाते हैं। वह सिलोलाइड की क़रीब दो इंच चौड़ी और सैकड़ो फ़ीट लम्बी पट्टी होती है, जिस पर फ़ोटो लेने के मसाले लगे होते हैं। उस पर एक ही दृश्य के पृथक-

पृथक् चित्र इतनी तेज़ी से खींचे जाते हैं कि एक सेकण्ड मे २? चित्र पृथक् पृथक् परन्तु साथ-साथ लगे हुए खिच जायँ। इस नैगेटिव को बिजली की रोशनी के सामने चलाया जाता है। चलाने की गति इतनी रक्खी जाती है कि एक सेकण्ड मे २० चित्र प्रकाश के सामने आ जायँ। इन विभिन्न चित्रों का प्रतिबिम्ब परदे पर पड़ता जाता है और देखने वाले को प्रतीत होता है कि वह एक ही सम्बद्ध चीज देख रहा है, जिसके पात्रों में गति है।

'फिल्म कैसे बोलते हैं—उपर्युक्त नैगेटिव फिल्मो के किनारे पर माइक्रोफोन नामक यन्त्र द्वारा आवाज के कम्पनों के चिह्न बनाये जाते हैं। शब्द कम्पनों के ये चिह्न बिजली से सम्बद्ध तार के बहुत ही बारीक गुच्छो को हिलाते हैं और उनके द्वारा वायु मण्डल मे उसी-उसी तरह के कम्पन पैदा होते हैं, जिस तरह के कम्पन फिल्म पर अकित होते हैं। इस आवाज को यन्त्रों की सहायता से ऊँचा कर दिया जाता है।

कुछ आश्चर्यजनक तथ्य— सार-भर में क़रीब ६५ हज़ार सिनेमा हाल हैं और उनके लिए प्रतिवर्ष दो अरब फीट कच्ची फ़िल्म की जरूरत होती है और इन दो अरब फीट फिल्मों पर क़रीब ३१ अरब फोटो प्रतिवर्ष खींचे जाते हैं। अच्छी-अच्छी फ़िल्में तैयार करने के लिये विदेशों की बड़ी बड़ी कम्पनियाँ क़रीब एक लाख फीट फिल्म पर फोटो लेती हैं और ,तब उनमें से १०,

१२ हज़ार फीट को छांट कर अपने काम लाती हैं, शेष ६० हज़ार फीट फिल्म रद्दी कर दी जाती है। अमेरिका में फिल्म की लाइन में जो परीक्षण हो रहे हैं, उनका अन्दाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वहाँ के एक फिल्म कारखाने में प्रतिवर्ष ३० लाख फीट फिल्म विभिन्न परीक्षणों में ही व्यय कर दी जाती है।

हवाई जहाज़

१८ वीं सदी में, जब राइट बन्धु हवाई जवाई जहाज़ बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब इँग्लैण्ड के एक बहुत ही प्रतिष्ठित अख़बार ने उनकी मजाक उड़ाते हुए लिखा था—"यदि मनुष्य उड़ने के लिए बनाया गया होता, तो अवश्य ही परमात्मा ने उसे पंख दे दिए होते।" परन्तु उसके बाद, बीसवीं सदी के प्रारम्भ में वैज्ञानिकों ने मनुष्य के दिमाग़ की इस पुरानी कल्पना को व्यवहार मे लाकर दिखा दिया कि मनुष्य आस्मान में उड सकता है।

हवाई जहाज़ों का प्रथम व्यवहार गत महायुद्ध मे किया गया था। तब दोनों पक्षों ने यह अनुभव किया था कि हवाई जहाज़ों की सहायता स शत्रुपक्ष को बहुत अधिक हानि पहुँचाई जा सकती है, इसीलिए उन दिनों हवाई जहाज़ बनाने में और उनकी त्रुटियों को दूर करने में वैज्ञानिकों ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। परिणाम यह हुआ कि आज हवाई जहाज़ इतनी उन्नति कर गए हैं।

हवाई जहाजों का उपयोग—गत महायुद्ध के बाद आवागमन, डाक तथा व्यापारिक कार्यों के लिए हवाई जहाज का प्रयोग शुरू हुआ। क्रमश संसार-भर के सभी सभ्य देशों में नियमित रूप से हवाई जहाज़ों द्वारा डाक पहुँचाई जाने लगी। आज यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया के पाँचों महाद्वीप हवाई जहाज़ों की महायता से एक दूसरे के बहुत निकट ले आए गए हैं। उन्नीसवीं सदी में एक लेखक ने यह कल्पना की थी कि यदि एक मनुष्य को, तब तक की तेज-से-तेज सवारी लगातार मिलती चली जाय, तो वह मनुष्य ८० दिनों में सम्पूर्ण संसार की प्रदक्षिणा कर सकता है। ८० दिनों का यह काल तब बहुत ही छोटा समझा गया था, परन्तु आज हवाई जहाज़ों की सहायता से यदि तेज़-से-तेज़ हवाई जहाज़ (बदलने की आवश्यकता पडने पर) मिलते चले जायँ, तो एक मनुष्य ४ और ५ दिनों के बीच में सम्पूर्ण संसार की प्रदक्षिणा कर सकता है। सामुद्रिक जहाज़ द्वारा अभी तक एक यात्री १५ दिनों में बम्बई से लण्डन पहुचता है, अब हवाई जहाज की मदद से यह यात्रा ४ दिनों मे समाप्त कर ली जाती है और अब बाकायदा हवाई जहाज़ों की सर्विस भी शुरू होगई है। वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक उन्नत देशों ने हवाई जहाजों को और भी अधिक अपनाया है। वहाँ हवाई जहाज़ों का प्रभाव रेलगाडियों की आमदनी पर भी पडने लगा है। जापान में तो हवाई जहाज़ों की यात्रा बहुत ही सस्ती है।

खतरे—हवाई जहाज़ो का चलन एक साधारण बात हो हो जाने पर भी, उनमे यात्रा करना अभी तक खतरे से खाली नहीं समझा जाता। इसका मुख्य कारण यह है कि हवाई जहाज़ों में अभी तक अनेक सुधारों की गुंजाइश है। रेलगाडी में अधिक शक्तिशाली एंजन लगा कर हम साधारण स्थिति की अपेक्षा अनेक गुना अधिक बोझ आसानी से खिंचवा सकते हैं, परन्तु हवाई जहाज़ो के सम्बन्ध मे यह बात नहीं। साथ ही हवाई जहाजों पर वायु-मण्डल की दशा का सीधा प्रभाव पडता है। अभी तक अधिक बडे हवाई जहाज बनाना और उनका चलाना एक ख़तरे का काम समझा जाता है। बीसवीं सदी की तीसरी दशाब्दि के अन्त मे इंग्लैण्ड ने 'आर १०१' नाम का जो एक विशालकाय हवाई जहाज बनाया था, उस ढंग का उससे बडा हवाई जहाज़ ससार के किसी देश ने अभी तक नहीं बनाया। यह 'आर १०१' अपने बोझ और अपनी विशालता के कारण ही अपनी पहली यात्रा मे नष्ट-भ्रष्ट हो गया था और उसके अन्दर बैठे हुए ८० क क़रीब यात्री, जिनमें इंग्लैण्ड के अनेक प्रमुख-राजनीतिज्ञ और वैज्ञानिक भी थे, बेमौत मार गए थे।

जेप्पेलिन (Zeppeline) का आविष्कार—उपर्युक्त दुर्घटना से ससार के सभी देशों ने यह शिक्षा ली कि हमें अभी बहुत बडे हवाई जहाज़ न बना कर मामूली आकार के प्रचलित

जहाजों में ही वे सुधार करने का प्रयत्न जारी रखना चाहिए, जिनसे उनपर वायुमण्डलकी परिस्थितियों का प्रभाव न पडे और उन्हें खतरे के बिना चलाया जा सके। फलत इस सम्बन्ध में अनेक उपयोगी आविष्कार किए भी गए हैं। परन्तु जर्मनी के लोग बड़े आकार के हवाई जहाजो के बहुत शौकीन थे। उन्होंने एक नई दिशा में अपना प्रयत्न जारी रक्खा। काउण्ट जैप्पेलिन नाम का एक महान वैज्ञानिक गैसवाले बैलून का हवाई जहाज़ बनाने मे बरसो से लगा हुआ था। अन्त में वह उस ढग के बडे-बडे हवाई जहाज़ बनाने में सफल हुआ। इस हवाई जहाज को अब जैप्पेलिन कहा जाता है।१६२८ में ग्राफ़ जैप्पेलिन नाम का एक विशालकाय जहाज जर्मनी मे बना और वह सफलता-पूर्वक कार्य करता रहा। उसके बाद तो बहुत ही बडे-बड़े जैप्पेलिन बनाए गए। 'एल० जैड० १२६' की लम्बाई ८१२ फ़ीट थी और उसकी चाल ८० मील प्रति घण्टा। जर्मनी ने 'हिण्डनबर्ग' नाम का एक विशालकाय जैप्पेलिन तैयार किया, जो कराव १००० फीट लम्बा था। इससे बडा जैप्पेलिन ससार में आज तक कभी नहीं बना था, परन्तु यह जहाज भी गिर कर नष्ट हो गया।

जैप्पेलिन का सिद्धान्त—जैप्पेलिन पर सैकडों फ़ीट लम्बा और लाखों वर्ग फ़ीट क्षेत्रफल का एक बैलून लगा होता है, जिस में हाइड्रोजन भर दी जाती है। यह गैस वायुसे हलकी है, अत जैप्पेलिन को आस्मान में रहने मे कोई दिक्कत नहीं होती से एंजिन की सहायता से उतारा जाता है और यन्त्रों

सहायता से उसके मार्ग पर नियन्त्रण रक्खा जाता है। जैप्पेलिन को 'वायु से हलका जहाज' भी कहा जाता है।

एरोप्लेन तथा जैप्पेलिन में भेद—एरोप्लेन (सामान्य हवाई जहाज) यन्त्रों की सहायता से आसमान में चढ़ता है और पंखों की सहायता से समतुलित किया जाता है। अत उसे बहुत बड़े आकार का बनाने में वज़न के बहुत बढ़ जाने का भय रहता है। परन्तु बहुत बड़े आकार का न बन सकने पर भी एरोप्लेन की चाल बहुत तेज रहती है। एरोप्लेन के लिए, घण्टे मे २५० मील चल लेना एक मामूली बात है। दूसरीओर गैस की मात्रा बढ़ा कर जैप्पेलिन को चाहे कितना बडा क्यों न बना लिया जाय, उसकी रफ्तार बहुत तेज नहीं की जा सकती। इसलिए इस शीघ्रता के अभाव में जैप्पेलिन के लिए हेलियम नाम की एक हलकी गैस सर्वश्रेष्ठ है, क्यों कि वह हाइड्रोजन की तरह जल उठनेवाली नहीं। परन्तु हेलियम पैदा करनेवाली चीज़ों पर अमेरिका का एकाधिकार है, अतः हेलियम का इस्तेमाल अभी तक जारी नहीं हो सका।

सीप्लेन—ऐसा जहाज़ जो पानी पर तैर सके और आसमान में भी उड सके, सीप्लेन कहलाता है। गत महायुद्ध में ऐसे जहाज़ खूब काम आए थे। परन्तु ऐसा जहाज़ बहुत छोटे आकार का बनता है।

हवाई जहाजों में अन्य सुधार—हवाई जहाज़ इस समय

नक कोया वना कर चढना शुरू करते हैं और आस्मान मे चक्कर लगा कर चढते हैं। अब प्रयत्न किया जा रहा है कि ऐसे साधन निकाले जायँ, जिनसे हवाई जहाज़ को आस्मान में सीधा चढाया जा सके। हवाई जहाज़ों को समुद्र मे उतारने क लिए अनक जगह अब तैरत हुए प्लेटफार्म भी बनाये जा रहे है। पैराशूटों की महायता से उडते हुए जहाजो से उतरा भी जा सकता है।

रॉकेट-शिप

यह एक आश्चर्य की बात है कि अनेक बार आज का खिलौना कल का एक महान वैज्ञानिक आविष्कार सिद्ध हो जाता है। आज के सामुद्रिक जहाजो की दिशा, मार्ग आदि बनाने वाला सब से अधिक महत्वपूर्ण यन्त्र गाइरोस्कोप (गाइरो कौम्पस) ससार भर मे बहुत ही लोकप्रिय सिनेमा और व्यापारिक जगत् का अत्यधिक महत्वपूर्ण यन्त्र टैलीफोन—ये सब आविष्कार शुरू-शुरू में बच्चों के खेलने के काम आते थे। उसी तरह खेल की एक और चीज़ से वर्तमान वैज्ञानिक एक बहुत बडा आविष्कार करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

आतिशबाजी के आधार पर रॉकेट-शिप—और यह सम्भावित महान आविष्कार आतिशबाज़ी की दुर्दमनीय ताक़त के आधार पर किया जायगा। जिस तरह आतिशबाज़ी एक खेल होते हुए भी खतरनाक है, उसी तरह उसके सिद्धान्त पर निकाला गया रोकेटशिप भी, प्रतीत होता है कि मानव-समाज के लिए एक दृष्टि से बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। आपने देखा होगा कि

आतिशबाज़ी की अनेक चीजों में लकडी या बॉस का टुकडा भी लगा होता है। जब उस आतिशबाजी को आग लगाई जाती है, तो उसके मसाले में तीव्र विस्फोट होता है। इस विस्फोट में इतनी शक्ति होती है कि बॉस या लकडी का वह टुकडा एक ही क्षण मे वायुमण्डल में सैन्कडो गज़ की दूरी पर जा पहुँचता है। जब विस्फोठ समाप्त हो जाता है, तो वह टुकडा भी अपने बोझ के कारण पृथ्वी पर गिर पडता है।

विस्फोट की शक्ति—विस्फोट मे जो शक्ति होती है, वह देर तक रहने वाली नहीं होती, परन्तु वह इतनी तेज़ होती है कि उसकी गति लगभग उल्कापात के समान तेज़ हो जाती है। इसी विस्फोट की तेज़ शक्ति के आधार पर तोप, बन्दूक और पिस्तौल की गोलिया काम करती हैं और इन्हीं के आधार पर बम भयकर जन-सहार कर सकते हैं। आजकल के वैज्ञानिक इस महाभयकर शक्ति को भी मनुष्य का गुलाम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

एक महत्वपूर्ण परीक्षण—वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि एक छोटी-सी आतिशबाजी एक छडी को आस्मान में उठा ले जा सकती है तो किसी शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ के आधार पर बनाया गया एक बडा यन्त्र, जिसे एक बहुत बडी आतिश-बाज़ी भी कहा जा सकता है, एक ऐसे कमरे को क्यों नहीं उठा ले जा सकता, जिसमें कुछ मनुष्य भी बैठे हों। कुछ समय हुआ, एक मामूली से सीप्लेन में बहुत-सा भार लादकर उसे समुद्र

मे छोड दिया गया था। इस प्लेन के सामने बडी-बडी आतिश बाजियाँ लगा दी गई। प्लेन में बोझ इतना अधिक भर दिया गया था कि पानी पर भी उसका ऐंजन उसे कठिनता से खींच सकता था, आस्मान में उडने की तो बात ही क्या। जब यह देख लिया गया कि वह सामुद्रिक हवाई जहाज़ उड नहीं सकता, तब आतिशबाज़ियों में आग दी गई और तभी वह सीप्लेन बड़ी तेज़ी से आकाश मे जा पहुचा।

इस परीक्षण की महत्ता—इस परीक्षण की ओर बहुत कम लोगो का ध्यान आकृष्ट हुआ था, परन्तु वास्तव मे इसकी महत्ता बहुत अधिक थी। यह पूरी तरह सम्भव है कि इन परीक्षणों के आधार पर एक समय वह स्थिति आ पहुचे, जब रौकेट की शक्ति का उपयोग मनुष्य अपने व्यवहार मे भी ला सके।

रौकेट-शिप के उपयोग—कल्पना कीजिए कि कभी रौकेट शिप बन गया, तो उस आतिशी जहाज़ मे इतनी शक्ति होगी कि उसके द्वारा तीन घण्टों के अन्दर ही अन्दर एक मनुष्य दुनिया के एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान पर पहुच सकेगा। इंग्लैंड से आस्ट्रेलिया पहुचने मे तब ३॥ घण्टे का समय लगा करेगा। लाहौर से बम्बई पहुँचना एक मज़ाक-सा हो जायगा। सिर्फ़ १५ मिनटों में लाहौर से बम्बई पहुचा जा सकेगा। अर्थात् एक विद्यार्थी पौने सात बजे लाहौर से

चल कर ७ बजे बम्बई के किसी कालेज में लैक्चर सुनने के लिए पहुच सकेगा। इस जहाज के द्वारा चाद तथा तारो मे पहुचना भी असम्भव न रहेगा। कोई दिन ऐसा आ सकता है कि इन रौकेट शिपों की सहायता से इस पृथ्वी का मनुष्य चाद या मगल आदि तक जा पहुचे। अमेरिका की 'नेवल एकेडमी' के श्री कौनरॅड का अनुमान है कि '२७० मनों' का एक रौकेट इस पृथ्वी से चाद तक पहुँच तो सकता है, परन्तु राह खच के लिए इस जहाज़ को १ लाख ६१। हजार मन हाइड्रोजन और आक्सीजन चाहिए।

युद्धों में रौकेटों का उपयोग—रौकेट शिप द्वारा कभी मनुष्य भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुच सकेंगे, यह तो आज भी बहुत आसान और सम्भव प्रतीत हो रहा है कि रौकेटों द्वारा युद्धो में शत्रु—सेना पर आक्रमण किया जा सकेगा। एक विशेष कोण बनाकर, एक विशेष शक्ति के साथ एक ऐसा रौकेट छोडा जायगा, जिसमें कोई मनुष्य तो न बैठा होगा, परन्तु उसमें विषैले बम आदि बडी मात्रा मे मौजूद होगे। यह रौकेट उसी जगह गिरेगा, जहाँ के लिए उसे रवाना किया जायगा। अनुमान है कि ये रौकेट ५०० मीलों तक बखूबी मार कर सकेंगे। गत महायुद्ध मे जब जर्मनी की भीमकाय तोपों ने ७५ मील की दूरी से कुछ गोले फ्रान्स की राजधानी पेरिस पर बहुत अधूरेसे रूप में फेंके थे, तब इस बात को एक बहुत ही आश्चर्यपूर्ण चमत्कार के रूप में लिया गया था। परन्तु अब

रौकेटों द्वारा यह बात बहुत ही मामूली हो जायगी। लाहौर से हमला कर के एक ओर काबुल तक, और दूसरी ओर कानपुर तक एक ही साथ भयकर मार-काट की जा सकेगी। इस तरह इस आविष्कार की महत्ता युद्धों की दृष्टि से बहुत अधिक है और यह पूरी तरह सम्भव है कि रौकेट का आविष्कार वर्तमान युद्ध-विद्या में क्रान्ति पैदा कर दे। आजकल अनेक देशों के सेना-विभागों द्वारा खुफिया तौर पर रौकेट बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि इस तरह के आविष्कार छिपे नहीं रह सकते।

कुछ अन्य आविष्कार—मनुष्य जीवन से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक बात के सम्बन्ध में आज नए-नए परीक्षण और आविष्कार किए जा रहे हैं। आज ऐसी मशीनें बन गई हैं, जिनमें एक तरफ गेहूं, खांड आदि के रूप में कच्चा माल रख दिया जाता है और दूसरी ओर डिब्बों में बन्द, सुन्दर सुन्दर लेबलों से सुसज्जित, स्वादिष्ट बिस्कुट निकल आते हैं। ऐसे कारखाने भी आज बन गए हैं जिनमें एक ओर वृक्षों के बड़े बड़े तने डाले जाते हैं और दूसरी ओर छपे हुए अखबार तह किए-कराए रूप में बाहर निकल आते हैं। उसी कारखाने में उन वृक्षों का कागज बन जाता है, और उसी कारखाने की मशीनों द्वारा वह छपे हुए ताजे अखबारों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह गिनने और हिसाब लगाने वाली मशीन भी आज तैयार हो चुकी है। [illegible] के सम्बन्ध म

जो आविष्कार हुए हैं, उनकी महत्ता भी बहुत अधिक है। इन आविष्कारों द्वारा मनुष्य बीमारियों और शारीरिक कमजोरियों से बचने का सफल प्रयत्न कर रहा है, दूसरी ओर युद्धों के सम्बन्ध जो भयकर-भयकर अस्त्र आज ईजाद किए जा रहे हैं, उनके द्वारा मनुष्य-समाज अपने विनाश की तैयारी कर रहा है। विचित्र विचित्र प्रकार की विषैली गैसें आज तैयार कर ली गई हैं और उनसे बचने के उपायों का भी आविष्कार साथ-साथ होता चला जा रहा है।

यह शताब्दी वैज्ञानिक आविष्कारों की शताब्दी है। अभी इस सदी का ४० वां वर्ष है। यह उत्सुकतापूर्वक देखने की बात है कि इस सदी के बाकी ६० वर्षों में और कौन कौन से आविष्कार होते हैं और उनकी सहायता से मनुष्य-समाज अपना क्या बना या बिगड लेता है।

साहित्य

साहित्य में बहुत कम उन्नति हुई है—भौतिकविज्ञान की दृष्टि से आज का मनुष्य अपने पूर्वजों को निस्सन्देह बहुत पीछे छोड आया है, परन्तु साहित्य, दर्शन या कला के सम्बन्ध में वह यह दावा नहीं कर सकता। यह बात नहीं कि इन दिशाओं में वर्तमान काल के मनुष्य ने उन्नति न की हो, परन्तु यह उन्नति साहित्य, कला और दर्शन को अधिक व्यापक और लोकप्रिय बनाने की ओर विशेषरूप से हुई है, उन्हें बहुत अधिक ऊँचाई पर -

ले जाने की ओर नहीं हुई। पुराने ज़माने के वाल्मीकि व्यास, होमर, कालिदास और शेक्सपीयर आदि की रचनाएँ वर्तमान युग के साहित्य से यदि बढ़ कर नहीं, तो उतर कर तो कदापि नहीं हैं। इस तरह प्राचीन भारतीय तथा विदेशी दर्शनकारों की कृतियाँ आज भी दर्शन-साहित्य के उज्ज्वलतम रत्नों में गिनी जाती हैं।

वेद की कविता—वेद में बहुत ऊँचे दर्जे की कविता और ऊँचे दर्जे के भावों का वर्णन है। उषा के सम्बन्ध में वेद कहता है—"इस उषा को उसकी माता ने बना सजा कर और भी अधिक प्रकाशमान बना दिया है, जो उसकी ओर देखता है, वह उधर से अपनी आँख हटा नहीं सकता।"

"हे सुन्दरी उषा, तुम अनन्त काल से चली आ रही हो, तथापि तुम प्रतिदिन नए-नए रूप में पुन-पुन आती हो। इस तरह तुम नई और पुरानी दोनों ही हो।"

परमात्मा के सम्बन्ध में वेद कहता है—

"इन ऊँचे पहाड़ों की बरफीली चोटियाँ जिसकी महिमा को पुकार-पुकार कर कह रही हैं, यह विशाल समुद्र सम्पूर्ण नदियों समेत उछल-उछल कर, बड़ी बड़ी लहरें लेकर जिससे मिलने को व्याकुल हो रहा है, ये विस्तृत दिशाएँ जिसकी बाहुएँ हैं, उस महाप्रभु के किस स्वरूप की मैं उपासना करूँ ?"

यथाशक्ति ईश्वर की स्तुति गा लाने के बाद साधक कहता है—

"एतावानस्य महिमा अतो ज्यायाश्च पूरुष ।"

"यह सब तो उस महाप्रभु की महिमा मात्र है, वह स्वय तो इससे भी बहुत-बहुत बडा है ।"

प्राचीन साहित्य—साहित्य के अनेक प्रसिद्ध समालोचको की राय है कि जितनी स्वाभाविकता वाल्मीकि, व्यास और होमर आदि के काव्यो में है, उतनी सहज स्वाभाविकता आज की कविता मे भी नहीं मिलती। मध्ययुग के शेक्सपीयर, कालिदास और भवभूति आदि महाकवियों की रचनाएँ आज तक ससार की सब से अच्छी साहित्यिक रचनाओ मे गिनी जाती हैं। बल्कि अनेक समालोचको की राय है कि उनका मुकाबला आजकल के साहित्यिक भी नहीं कर सकते। भारत का दर्शन-साहित्य अभी तक ससार के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक साहित्य में गिना जाता है। इसी तरह उन्नीसवीं सदी मे पाश्चात्य दर्शन की जितनी उन्नति हुई है, उतनी बीसवीं सदी में, अभी तक नहीं हो पाई। कविता के क्षेत्र में तो, लोगों का खयाल है कि वर्तमान ससार उन्नति की बजाय अवनति ही कर रहा है।

संस्कृत-साहित्य—भारतवर्ष के प्राचीन सस्कृत साहित्य पर हमें अभिमान है। कालिदास और भवभूति इस देश के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हुए हैं। कालिदास का शकुन्तला और भवभूति का उत्तर रामचरित ये दोनों ग्रन्थ अमर हो गए हैं। इसी तरह राजशेखर, दिग्नाग, भास आदि नाटककार भी बहुत ही श्रेष्ठ थे। कवियों में

इस देश के आदि महाकवि वाल्मीकि और महाभारतकार व्यासदेव का उल्लेख किया ही जा चुका है। संस्कृत साहित्य के मध्य युग में भारवि, भास और माघ का दर्जा बहुत ऊँचा है। उपन्यास-लेखकों में बाण, सुबन्धु और दण्डी प्रसिद्ध हैं। वैज्ञानिक साहित्य के प्रणेताओं में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मभट्ट, शुक्राचार्य, भास्कराचार्य, वाग्भट्ट और चरक पण्डित के नाम स्मरणीय हैं। राजनीति शास्त्र के लेखकों में मनु, बृहस्पति, शुक्र और कौटिल्य अमर रहेंगे। व्यास, गौतम, कपिल, कणाद, शंकराचार्य आदि इस देश के महान विचारक और दार्शनिक हुए हैं।

प्राचीन हिन्दी-साहित्य—वर्तमान ब्रजभाषा के साहित्य का विकास १५ वीं शताब्दी से शुरू हुआ। प्राचीन हिन्दी कविता में भक्ति और सुधार भावना का प्राधान्य है। तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास प्राचीन हिन्दी साहित्य के सब से प्रमुख कवि हुए हैं। तुलसीदास के काव्यों में रामायण सब से प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ भक्ति और आचारशास्त्र की सर्वश्रेष्ठ मध्यकालीन कृति होने के अतिरिक्त कविता की दृष्टि से भी बहुत श्रेष्ठ है। सूरदास की कविता में तन्मयता के भाव की प्रधानता है और कबीरदास रहस्यवाद का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हुए। आजकल रहस्यवाद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इससे भारत के प्राचीन कवियों में कबीरदास की महत्ता और भी अधिक होती जा रही है। इन कवियों के अतिरिक्त चन्दबरदाई, रहीम, हम्मीर, केशवदास,

भूषण, बिहारी, वृन्द, देव आदि अन्य भी अनेक बहुत श्रेष्ठ कवि हिन्दी में हुए हैं। इनमें बिहारी और देव शृङ्गार रस की कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। भूषण वीर रस की कविता के लिए। मुगल सम्राट औरंगजेब के ज़माने मे भूषण की कविताओं ने हिन्दुओं मे वीरता की भावना फूँक दी थी। महाराज शिवाजी की स्तुति मे भूषण के कवित्त विशेष प्रशंसनीय हैं। इनके अतिरिक्त दादू और गुरु नानक की भक्ति-कविता का भी हिन्दी साहित्य मे विशेष मान है। गुरु नानक की भक्ति-रस की कविता ने पंजाब के हिन्दुओं में भक्ति-भाव के साथ-साथ आत्मविश्वास का भाव भी भर दिया था।

हिन्दी की यह प्राचीन कविता व्रजभाषा मे लिखी जाती थी। तब तक खड़ी बोली का चलन नहीं था। साहित्य में केवल काव्य की ही प्रतिष्ठा थी। प्राचीन हिन्दी में उपन्यास या नाटक या तो लिखे नहीं गए अथवा वे उपलब्ध नहीं होते। जो कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि उस युग मे केवल कविता और पद्यों की ही प्रतिष्ठा थी। आज हिन्दी में युगान्तर हो गया है। व्रजभाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया है और कविता के साथ-साथ साहित्य के अन्य अंगों मे भी हिन्दी उन्नति कर रही है।

साहित्य के नवीन आदर्श—मनुष्य की अन्य कृतियों के समान साहित्य में भी परिवर्तन आना आवश्यक था। मानव-समाज की अनुभूतियाँ और रुचियाँ क्रमश बदलती जा रही

हैं और स्वभावत उनका प्रभाव साहित्य पर भी पड रहा है। साहित्य के आदर्श आज बदल गए हैं। पुराने युग में प्राय ललित साहित्य (कहानी, कविता, काव्य, नाटक आदि) धनियों और राजाओं के मनोविनोद की वस्तु था, इसलिए उसमे कल्पनाओं और मनोरञ्जक वर्णनों की प्रधानता थी। सौन्दर्य का चित्र कल्पना की आँखो के सामने उपस्थित करना साहित्य का एक प्रमुख उद्देश्य था, यद्यपि अनेक प्रचीन सस्कृत-साहित्यज्ञ "स्वान्त सुखाय" (अपनी आत्मा की सन्तुष्टि और सुख के लिए) तथा मोक्ष प्राप्ति (ज्ञान द्वारा) को साहित्य का ध्येय मानते थे। परन्तु बहुसख्या का उद्देश्य अपना और सम्भ्रान्त पाठकों या श्रोताओं का मनोविनोद करना ही था। आज वह स्थिति नहीं रही। आज मनोविनो" का स्थान उपयोगिता ने ले लिया है और मनुष्य ललित-साहित्य द्वारा भी कुछ नए भाव,नए आदर्श और नई कल्पनाओं का चित्र देखना चाहता है। इसी कारण वास्तविकता का चित्रण वर्तमान साहित्य का महत्वपूर्ण ध्येय बन गया है। साहित्य मे बेसिर-पैर की असम्भव कल्पनाओं को आज घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। भाषा और शैली में भी व्यर्थ क शब्दाडम्बर अब पसन्द नहीं किये जाते। मध्य युग के साहित्यिक इन दोना चीजो को बहुत पसन्द करते थ। मनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण आजकल विशेष पसन्द किए जात हैं।

कला कला के लिय—'स्वान्त सुखाय' क प्राचीन

भारतीय मत का नया रूप 'कला कला के लिये' वाला सिद्धान्त है। इसका अभिप्राय यह है कि कलाकार कला (ऐसी कृति जो दर्शक, पाठक या श्रोताओं को रस दे सके) का निर्माण आत्मतुष्टि के लिये करता है। कला का निर्माण उसके हृदय को सन्तोष और शान्ति देता है, यही कला का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। इसके साथ ही विचारको की राय है कि कला अपने शुद्ध रूप मे कभी गन्दी, मैली अशिष्ट या वासनापूर्ण नहीं हो सकती। कला परमात्मा के उस गुण की देन है, जिसे 'सौन्दर्य का उत्पादक' कहा जा सकता है, अत वह मलिन, अशिष्ट या वासनापूर्ण हो ही नहीं सकती।

साहित्य का नोबल पुरस्कार—स्वीडन के श्री एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल नाम के एक दानी पुरुष ने ७७० लाख रुपया से एक फण्ड कायम किया था, जिसके सूद से करीब १२० हज़ार रुपयों के पाच पुरस्कार प्रतिवर्ष बाटे जाते हैं। रसायन, भौतिक विद्या, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति—इन सब के सम्बन्ध में वर्ष भर में सब से अच्छा कार्य ससार के किसी भी देश के जिन व्यक्तियों ने किया होता है, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। इन सब पुरस्कारों मे साहित्य का नोबल पुरस्कार विशेष प्रतिष्ठा की चीज़ समझा जाता है। सन १९१३ में भारतवर्ष के अमर कवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर को यह पुरस्कार मिला था। सन् १९१९ से १९३४ तक निम्नलिखित व्यक्तियों का साहित्य का

यह नोबल पुरस्कार मिला है—सी० स्पिट्लर, नट हैमसन, अनातोले फ्रास, जे० बैनेवण्टे, यीट्स, रेमौण्ट, बर्नर्ड शा, ग्राजिया डेलेडा, एच० जार्जसन, सिग्रिड अण्डसैट, थौमस मैन, सिक्लेअर लूइस, एक्सल कार्लफैट, जोन गाल्सवर्दी, इवान बुनिन और पिराण्डलो लूगी।

साहित्य की सार्वभौम पुकार—साहित्य को आजकल सम्पूर्ण विश्व की सम्पत्ति माना जाता है। वास्तव में श्रेष्ठ साहित्य की पहिचान ही यही है कि उसकी पुकार सार्वभौम होनी चाहिये। फिर भी प्रत्येक देश की अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार सभी जगह विशेष-विशेष शैली और भावों का साहित्य विकसित हो पाता है। उदाहरणार्थ अठाहरवीं सदी के अन्त में रूसो और वाल्टेयर ने जिस ढग का साहित्य फ्रास में पैदा किया था, वैसा साहित्य उन्हीं परिस्थितियों में लिखा जा सकता था। फिर भी उस साहित्य का प्रभाव सम्पूर्ण संसार पर पड़ा।

आजकल का भारतीय साहित्य—भारतवर्ष में आजकल जागृति का युग है। सभी क्षेत्रों में यह देश उन्नति कर रहा है। साहित्य की दृष्टि से भी भारतवर्ष का स्थान संसार के अन्य देशों के मुकाबले में अब उतना पिछड़ा हुआ नहीं रहा। सन १९१३ में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य का नोबल पुरस्कार विजय करके भारतीय प्रतिभा का प्रमाण संसार-भर को

दिया था। भारतवर्ष के अन्य भी अनेक लेखकों ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है।

साहित्य की दृष्टि से भारतवर्ष मे पहला स्थान बङ्गाल का है। बङ्गाल ने श्री माइकेल मधुसूदन दत्त, श्री बङ्किम चन्द्र चट्टोपाध्य, श्री द्विजेन्द्रलाल राय, श्री रमेशचन्द्र दत्त श्री राखाल-दास वन्द्योपाध्याय, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर और श्री शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय, जैसे प्रतिभाशाली लेखकों को अर्वाचीन युग में जन्म दिया। गुजराती, मराठी तथा दक्षिण की भाषाओं में भी इन दिनों अच्छा साहित्य लिखा गया है।

हिन्दी में आजकल साहित्यिक जागृति के दिन हैं। पहले पहल हिन्दी में कविता करने का चाव बडे जोरों से पैदा हुआ था। आजकल कहानियों का ज़माना है। आए दिन नए-नए लेखक पैदा हो रहे हैं और वे नई-नई शैलियों को अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। व्यापकता और बोलनेवालो की सख्या की दृष्टि से हिन्दी, ससार की तीसरी भाषा है। नए साहित्य क लिहाज़ से यद्यपि वह अभी तक ससार की अन्य उन्नत भाषाओं से बहुत पिछडी हुई है, परन्तु लक्षणों से प्रतीत होता है कि हिन्दी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। भारतवर्ष के प्रत्येक प्रतिभाशाली कुमार, कुमारी अथवा नवयुवक और नवयुवती का यह कर्तव्य है कि वह अपनी मातृभाषा के साहित्य को उन्नत करने का भरसक प्रयत्न करे।

हमारा प्रान्त
(पंजाब)

भारतवर्ष की सीमा पर—सैनिक दृष्टि से पंजाब हिन्दोस्तान का सब से अधिक महत्वपूर्ण प्रान्त है। यह प्रान्त यद्यपि क्षेत्रफल में काफी बडा है, तथापि इसे हिन्दोस्तान का 'सैनिक द्वार' कहा जा सकता है, इस देश मे स्थल मार्ग से जो जातियाँ आई, उन्हे पहली बाधा खैबर दर्रे पर मिलती रही। जो जातियाँ खैबर दर्रा पार करके सिन्धु नदी तक पहुच जाती थीं, उनके लिए, सरदियों के मौसम में सिन्धु नदी पार कर सकना बहुत कठिन नहीं रहता था। सिन्धु नदी पार करते ही वे लोग वास्तविक 'आर्यवर्त' में पहुँच जाते थे। पजाब के उपजाऊ और समतल मैदानों में आगे बढ़ने में उन्हें कोई विघ्न न होती थी। पजाब के वीर क्षत्रिय विभिन्न टुकडियों मे बटे हुए थे, अत किसी सगठित और विशाल सेना वाली जाति के आक्रान्ताओं के लिए पजाबी क्षत्रियों का सामना करना बहुत कठिन नहीं होता था और वे लोग आगे बढ़ते चले जाते थे।

भारतवर्ष की युद्ध-भूमि पानीपत—पजाब के उत्तर तथा तथा उत्तर-पूर्व की ओर दुर्गम हिमालय है। उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम में हिमालय तथा सुलेमान पर्वत हैं।

पर्वत तथा राजपूताना के रेगिस्तान हैं। इस तरह पंजाब की यह उपजाऊ भूमि चारों ओर से प्रकृति द्वारा सुरक्षित है। यदि किसी जगह से आगे बढ़ा जा सकता है, तो वह जगह है, दक्षिण-पूर्व में पानीपत (अम्बाला कमिश्नरी) का मैदान। इसी कारण यह पानीपत भारतवर्ष के इतिहास में शुरू ही से प्रसिद्ध युद्ध-भूमि रहा है। पानीपत के मैदान में ही प्राचीन काल के अनेक बड़े-बड़े साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। महाभारत से लेकर सन् १७६१ तक अनेक महायुद्ध इस मैदान में लड़े गए। अनेक इतिहास-प्रसिद्ध राजवंशों के भाग्यों का निपटारा इसी भूमि में होता रहा। और पंजाब पानीपत की कुंजी है, इसलिये भारतवर्ष में प्राय. उसी शक्ति का प्राधान्य रहा, जिसका पंजाब पर अधिकार रहा।

नई परिस्थितियाँ—परन्तु अब परिस्थितियाँ बहुत कुछ बदल गई हैं। स्थल-मार्ग से पैदल सेनाओं के आक्रमण होने अब लगभग बन्द हो गए हैं। अभी तक उनका स्थान सामुद्रिक मार्गों ने ले रक्खा था और अब क्रमश हवाई मार्ग सामुद्रिक मार्गों की महत्ता को भी कम करते जा रहे हैं। सामुद्रिक मार्गों की दृष्टि से भारतवर्ष के पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी बन्दरगाहों की महत्ता बहुत अधिक थी और हवाई मार्गों की दृष्टि से कराची की महत्ता बढ़ती चली जा रही है। फिर भी निम्नलिखित दो दृष्टियों से पंजाब की सैनिक महत्ता अभी तक कम नहीं हुई—

(१) पंजाब के पश्चिमोत्तर में अफ्रीदी आदि अनेक अर्ध-सभ्य सरहद्दी जातियाँ रहती हैं। ये लोग लूट-मार को बुरा

हीं समझते। इसी तरह, इसी दिशा से, अन्य भी अनेक शक्ति-शाली राष्ट्रों के आक्रमण का भय अभी तक बिलकुल नहीं जाता रहा। इन सरहद्दियों तथा अन्य जातियों से भारतवर्ष की रक्षा करने के लिए अभी तक पजाब तथा सीमाप्रान्त की छावनियो में बडी-बडी सेनाएँ रक्खी जाती हैं। इससे पजाब का सैनिकपन अभी कायम है।

(७) पजाब का जलवायु स्वास्थ्य के लिए विशेषरूप से लाभकर है। यहाँ जो जातियाँ आबाद हैं, उनमे बहुसख्या के वंश लडाई-झगडे से घबराते नहीं थे। इन जातियो का स्वास्थ्य भी अच्छा है, अत भारतवर्ष की सेनाओं मे पजाबियों की ही प्रधानता है।

पजाब की नदिया—पजाब पाँच जलों का देश है। परन्तु वास्तव में यह सात नदियों से उपयोग ले सकता है। झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज—ये पाँचों नदियाँ मुख्यत पजाब की भूमि मे ही बहती हैं। सिन्धु नदी पहले एक जगह पजाब की सीमा का काम करती है। और उसके बाद, पजाब की सीमा छोड कर आगे बढने से काफी ऊपर ही, वह पजाब की आखिरी हद के बीचोबीच बहने लगती है। पूर्व की ओर यमुना नदी पजाब की सीमा पर बह रही है। इस तरह पजाब के उपजाऊ और समतल मैदानों मे सात नदियों के जलों का उपयोग लिया जा सकता है।

नई आबादियाँ—इतना पानी रहते हुए भी पजाब के एक बड़े-बड़े मैदान अभी तक व्यर्थ ही पड़े हुए थे। पिछली

चार-पाँच दशाब्दियों में पंजाब में अनेक बड़ी-बड़ी नहरें बनाई गई हैं और उनके द्वारा इन मैदानों को पानी पहुँचाया गया है। परिणाम यह हुआ है कि लाखों एकड़ नई भूमि इस योग्य निकल आई है कि वहाँ खेती-बाड़ी की जा सके। इन्हें नई आबादियां कहा जाता है। बहुत समय तक ये ज़मीनें भारतवर्ष की सब से अधिक उपजाऊ ज़मीनों में गिनी जाती रहीं। इन ज़मीनों में सरकार ने अनेक ऐसी जातियों को बसाया है, जो अब तक सैनिकपेशा जातियाँ समझी जाती थीं। गत महायुद्ध के तथा अन्य युद्धों के सैनिकों को ये ज़मीनें इनाम के तौर पर भी दी गई हैं। इससे पंजाब की अनेक सैनिक जातियाँ अब किसान-जातियाँ बनती चली जा रही हैं।

नहरों की वृद्धि—सन् १८६८ में पंजाब में १३ लाख ७३ हजार एकड़ भूमि नहरों के जल से सींची जाती थी। सन् १६३० तक यह मात्रा १ करोड़ ७ लाख ३६ हजार एकड़ तक जा पहुँची। कुओं आदि से सन् १८६८ में पंजाब की ४६ लाख १७ हजार ज़मीन सींची जाती थी। अब सन् १६३० में यह मात्रा थोड़ा-सा घट कर ४५ लाख ७५ हजार एकड़ हो गई है। ये संख्याएँ इस बात की द्योतक हैं कि पंजाब में नहरों का जाल किस तेज़ी से बिछाया जा रहा है। इतने समय में प्रान्त की सब तरह की कृषियोग्य भूमि में ५० प्रतिशत भूमि की वृद्धि करली गई है।

पंजाब की आबादी—सन् १८६८ से अब तक पंजाब की जन-संख्या में क्रमश इस तरह वृद्धि हुई है—

सन्	आबादी	१९२१ के अनुसार	
१८६८	१,६२,५०,०००	हिन्दू काश्तकार–	२२,११,०००
१८८१	१,६६ ४० ०००	हि० गैर काश्तकार–	४३,५८,०००
१८९१	१,८६,५०,०००	मुसलमान काश्त०–	६७,२८,०००
१९०१	१,९९,५०,०००	मु० गैर काश्त०–	४१,१६,०००
१९११	१,९९,८२,०००	सिक्ख	
१९२१	२,०६,८० ०००	काश्त०–	१५ ०८,०००
१९३१	२,३५,८०,०००	गैर०–	७,८४,०००

हिन्दोस्तान म यूरोपियन महायुद्ध का सब से अधिक प्रभाव प जाब पर ही पडा, क्यों कि जो भारतीय सैनिक फ्रास, बेल्जियम और बसरा बगदाद के युद्ध-क्षेत्रों में गए थे, उनमें पजाबियो की सख्या सब से अधिक थी। परन्तु महायुद्ध के बाद, सन् १९२१ से लेकर सन् १९३१ तक इस प्रान्त में कोई विशेष अशान्ति उत्पन्न नहीं हुई, इसी से इन दस वर्षों में जन-सख्या बढने का अनुपात बहुत अधिक रहा।

पजाब के विभाग—प जाब को मुख्यतया तीन भागों मे बाँटा जा सकता है। (१) मुलतान और रावलपिण्डी की कमिश्नरियों में मुसलमान जाटों की, जो हूणों के वशज कहे जाते हैं, अधिकता है। ये लोग प्राय खेती-बाडी का काम करते हैं। परन्तु आर्थिक दृष्टि से ये लोग अपने यहा के अन्य वशीय मुसलमानों तथा खत्री और अरोड़े हिन्दुओं से बहुत पिछडे हुए हैं। (२) लाहौर और जालन्धर की कमिश्नरियों में मुसलमान और सिक्खों की सख्या करीब-करीब बराबर है;

परन्तु इस मध्य-पंजाब की भूमि का अधिक भाग सिक्ख जाटों के हाथ में हैं। मध्य पंजाब के किसान उत्तर-पश्चिमी भारत के किसानों से अधिक सम्पन्न हैं। इन कमिश्नरियों में भी हिन्दू आबादी मुख्यत अरोड़े और खत्रियों की ही है। इनकी आर्थिक दशा पहले की अपेक्षा बिगड़ती चली जा रही है। अम्बाला कमिश्नरी में हिन्दू जाट किसानो की प्रधानता है। ये लोग भारतवर्ष के औसतन किसानों की अपेक्षा अधिक अच्छी हालत में हैं। यद्यपि यहा भी गरीबी बहुत अधिक है। इन के अतिरिक्त ब्राह्मण और बनिये भी, इस कमिश्नरी की काफी सख्या में हैं।

जाट----पंजाब भर में करीब ६० लाख जाट हैं। उत्तर पश्चिम के जाट मुसलमान हो गए हैं, मध्य पंजाब के जाट सिक्ख हैं, पूर्वीय पंजाब के जाट हिन्दू ह। ये सब जाट विदेशी आक्रमण कारी जातियो—हूण आदि—के वंशज कहे जाते हैं। इनके जिस्म अभी तक बहुत अच्छे हैं और इन्हे पंजाब की रीढ कहा जा सकता है।

पंजाब के किसान---यह ठीक है कि पंजाब के किसानो की दशा भारतवर्ष के अन्य प्रान्तीय औसतन किसानों से अच्छी है। इसके तीन प्रमुख कारण हैं। पहला तो यह कि पंजाब में छोटे-छोटे जमीदारों की बडी संख्या है। ये लोग अपनी भूमि के स्वय मालिक हैं, अत उनकी दशा अच्छी होना स्वाभाविक है। दूसरा यह कि पंजाब म जमीदारों को फसल की आय का भाग अन्य प्रान्तों की अपेक्षा कम देने का रिवाज प्रचलित है। पंजाब

की भूमि वैसे भी काफी अच्छी उपजाऊ है, इसलिए ठेके पर, या हिस्से पर काम करने वाले किसानो की आर्थिक दशा भी अपेक्षाकृत अच्छी रहती है। तीसरा कारण यह कि पंजाब का जलवायु पुष्टिदायक है, वह यहा के किसानों को अधिक कर्मण्य बनाता है और उनकी दरिद्रता का प्रभाव उनके शरीर पर नहीं पडने देता।

मध्यवर्ग के लोग---पंजाब छोटे छोटे जमीदारों का प्रान्त है, इसका एक परिणाम यह भी हुआ है कि पंजाब मे मध्य श्रेणी के लोगो की सख्या अन्य सभी प्रान्तों से औसतन अधिक है। युक्तप्रान्त, बिहार आदि मे एक ओर बडे बडे धनी लोग हैं, जिनकी आय हजारों लाखो में है, दूसरी ओर वहॉ इतने गरीब किसान हैं, जिनके पास सारी उम्र में १००) रुपया भी नहीं जुड़ पाता। पंजाब के किसान बहुत बडी सख्या में जमीदार किसान हैं, इससे यहा बहुत बड़े अमीरो की सख्या तो निस्सन्देह कम है, परन्तु मध्यवर्ग की श्रेणियाँ यहा सभी प्रान्तों से अधिक हैं और वर्तमान युग मे मध्य श्रेणियों की महत्ता बहुत अधिक बढ गई है।

किसानों का कर्ज—पंजाब के किसानों पर भी कर्ज़ का बहुत बोझ रहता है और यह बोझ निरन्तर बढ़ता ही जाता था। सन् १९२१ में पंजाबी किसानों पर ९० करोड रुपयों का कर्ज़ था। सन् १९३० में वह कर्ज़ बढ कर १ अरब ३५ करोड हो गया था। पिछले दिनो पंजाब सरकार ने जो साहूकारा आदि कानून बनाये

। जो बालक बचपन ही से पढने-लिखने के लिए शहरों में ाकर रहने लगते हैं अथवा कालेज की उच्चशिक्षा प्राप्त करने के ाए बडे शहरो में जाते हैं, उनका जी फिर अपने गाव में जाकर हने को प्राय नहीं करता। वकील, डाक्टर, एञ्जीनियर आदि ोगो की रोज़ी अभी तक गावो मे नहीं चल सकती, इस से वे ोग अपना केन्द्र शहरो को बनाते हैं। मध्य श्रेणियों के अनेक ामीण किसान आजकल अपने पुत्रो को ऊँची शिक्षा देने का यत्न करते हैं, और वे शिक्षित नवयुवक प्राय अपने गाव को सदा ; लिए छोड जाते हैं।

वर्तमान युग की सभ्यता मे शहरो की मुख्यता वैसे भी हुत बढ गई है। प्रत्येक कार्य का केन्द्र शहर ही बन सकते हैं। शेषकर व्यवसाय और व्यापार की दृष्टि से शहरो की महत्ता यो ी अधिक है। शहरों की तडक-भडक ग्रामीण युवकों को आसानी ; साथ अपनी ओर खींच लेती है। शहरों में पहुँच कर वे अनु-ाव करने लगते हैं कि जैसे उन्हें अब आज़ादी मिल गई है।

गा ों पर इस प्रवृत्ति का प्रभा—परिणाम यह हो रहा : कि गावो में से समझदार लोगो की संख्या कम होती चली जा ही है। जो लोग ज़रा भी उन्नति कर लेते हैं, वे फिर गावो म हना पसन्द नहीं करते। इसने गावो का स्टैण्डर्ड और भी नीचा ो जाता है। क्रमश शहरों और गाँवो के बीच मे भेद की एक ीवार-सी खडी होती जा रही है, जिसे किसी भी दृष्टि से अच्छा हीं समझा जा सकता। यह प्रवृत्ति यहा तक बढ रही है कि एक

मेट्रिक पास नवयुवक, जिसके मा-बाप के पास ३०,३५ एकड जमीन भी मौजूद है, गाव में रहना और अपनी जमीन पर काम करना प्राय पसन्द नहीं करता। वह उसकी अपेक्षा किसी शहर मे जाकर २०,२२, रुपये मासिक पर क्लर्क हो जाना अधिक पसन्द करेगा। इस प्रवृत्ति से जहा गावो की उन्नति में बाधा पहुच रही है, वहाँ देश के नौजवानों के स्वास्थ्य और चरित्र पर भी बुरा प्रभाव पड रहा है।

गावों की महत्ता बढ़ाने के प्रयत्न – पजाब सरकार पिछले वर्षो से ग्रामो की महत्ता बढाने का जो प्रयत्न कर रही है, उस का सब से पहला कार्य गावों मे पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित करना है जिससे गावा के पढे लिखे लोग अपने गाव मे एक ऐसा वातावरण अनुभव कर सकें कि गाव में रहते हुए भी उन के बौद्धिक विकास को बाधा नहीं पहुँचती। यदि गावो का रहन-सहन कुछ हद तक सुधर जाय, तो पढ़े-लिखे युवकों को गावो मे रहना अखरेगा नहीं। इधर शहरों में रहने वाली जनता का ध्यान भी, कुछ हद तक, ग्रामों की उन्नति की ओर आकृष्ट हुआ है।

भारतवर्ष के नए शासन विधान मे वोटरो की सख्या बहुत अधिक बढा दी गई है। गावा के वोटरों की सख्या अब इतनी अधिक हो गई है कि शहरों में रहने वाले उम्मीदवारा को अपनी सफलता के लिए यह आवश्यक प्रतीत होने लगा है कि वे गाव वालों के साथ अपना सम्पर्क बनाए रक्खें। उस

उतने दैनिक पत्र, कलकत्ता को छोड़ कर, भारतवर्ष के और किसी नगर से नहीं निकलते और कलकत्ता की आबादी लाहौर से ३ गुना से भी अधिक है।

पंजाब की अभिवृद्धि - निम्नलिखित तालिका से पंजाब की आर्थिक समृद्धि का अन्दाजा आसानी के साथ लग सकेगा—

वर्ष	रेलवे लाइन (मीलों में)	नहरें (मीलों में)	पक्की सड़कें (मीलों में)	उपजाऊ भूमि (एकड़)	लगान (रुपये)
१८७२-७३	४१०	२,७४४	५०३६	१८८ लाख	२०१ ला
१८८२-८३	६००	४,५८३	१४६७	२२४ ,,	२०६ ,,
१८९२-९३	१७२५	१२,३६८	२१८२	२६७ ,,	२२३ ,,
१९०२-०३		१६,८६३		२६८ ,,	२३० ,,
१९१२-१३	४०००	१७ ६३५	२६१४	२९० ,,	३६० ,,
१९२२-२३	४४४१	१९,५६४	२६,८	३०० ,,	४०० ,,
१९३२-३३	५५००	१९,६०१	३६०४	३०६ ,,	४२८ ,,

॥ इति ॥

हिन्दी-रत्न परीक्षा की सहायक पुस्तकें

सुबोध हिन्दी व्याकरण

[प्रो० रामदेव ऐम ए]

(पाँचवाँ संस्करण)

हिन्दीरत्न परीक्षा के लिए यह सर्वोत्तम व्याकरण है। इसमे परीक्षा मे पूछे जाने वाले प्राय सब विषय—समानार्थक, द्व्यर्थक, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्दों में सूक्ष्म-भेद, वाक्यसमूह के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, अशुद्धि ठीक करना आदि बडे विस्तार से समझाये गये हैं। रत्न के परीक्षार्थियों के लिए इससे अच्छा और कोई व्याकरण अब तक नहीं लिखा गया। पुस्तक पजाब के बाहर भी दिल्ली, बबई, राजपूताना और मद्रास आदि की परीक्षाओं मे लगी है, यही इसकी उत्तमता का सबसे बडा प्रमाण है। २३६ पृष्ठ, मू० ।।।) मात्र

व्याकरण का चार्ट

[ले०—श्रीयुत धर्मेन्द्रनाथ विद्यालंकार]

इस चार्ट की सहायता से हिन्दी का सारा व्याकरण पाँच मिनट में दोहराया जा सकता है। ठीक परीक्षा के समय काम आने वाली चीज है। मूल्य ≡)

हिन्दी भवन, अनारकली, लाहौर